360

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

विकास बहल से पहले, जे.

दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत और एक अन्य उत्तरदाताओं का संघ 2024 का सी. आर. एम.-एम. सं. 2191

2024 का सी. आर. एम.-एम. सं. 3385

08 फरवरी, 2024

अभिनिर्धारित किया कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ प्रत्यर्थियों की ओर से उठाई गई दलीलों को सुना है और कागजी पुस्तकों का अध्ययन किया है और यह राय है कि दोनों याचिकाएं नीचे दिए गए कारणों के लिए अनुमति देने योग्य हैं। (पैरा 30) ने आगे कहा कि यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि राम किशोर अरोड़ा (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि चूंकि, पंकज बंसल (उपरोक्त) के फैसले में, उसने गिरफ्तारी के आधार को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, इसलिए "अब से", यह देखा गया कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार को लिखित रूप में प्रस्तुत करने की उक्त आवश्यकता उक्त निर्णय की तारीख के बाद अनिवार्य/अनिवार्य होगी और निर्णय की घोषणा की तारीख तक गिरफ्तारी के आधार को लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं करना होगा। पंकज बंसल (उपरोक्त) के मामले में दोष नहीं दिया जा सकता था। यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि पंकज बंसल (उपरोक्त) के मामले में फैसला 03.10.2023 पर सुनाया गया था, जबकि वर्तमान मामले में दोनों याचिकाकर्ताओं को 08.01.2024 पर अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार और 04.01.2024 पर याचिकाकर्ताओं के मामले के अनुसार गिरफ्तार किया गया है, जो उक्त फैसले की घोषणा की तारीख के बाद है। राम किशोर अरोड़ा (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा था कि धारा 19 (1) में "जितनी जल्दी हो सके" शब्द का अर्थ उचित रूप से दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत का संघ होगा।

361

अन्य (विकास बहल, जे.)

(पैरा 34) ने आगे कहा कि पैरा 325 में इस तथ्य का और संदर्भ दिया गया था कि केंद्र सरकार ने 2002 के अधिनियम की धारा 73 के आधार पर 2005 के नियम (I) बनाए थे जो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के आदेश की प्रति को सामग्री के साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को अग्रेषित करने के प्रपत्रों और तरीकों से संबंधित हैं। (पैरा 35) ने आगे कहा कि उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अभियुक्त को ईडी की हिरासत में भेजने के समय गिरफ्तारी के आदेश पर विचार करना और 2002 के अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों का उचित अनुपालन देखना और 362 के आदेश में भी इसे प्रतिबिंबित करना विशेष न्यायालय/संबंधित न्यायालय का दायित्व है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

उसी के संबंध में एक विशिष्ट अवलोकन करके रिमांड। (पैरा 36) ने आगे कहा कि उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अभियुक्त को ईडी की हिरासत में भेजने के समय विशेष न्यायालय/संबंधित न्यायालय का यह दायित्व है कि वह गिरफ्तारी के आदेश का अध्ययन करे और 2002 अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों का उचित अनुपालन देखे और उसी के बारे में एक विशिष्ट अवलोकन करके रिमांड के आदेश में भी इसे प्रतिबिंबित करे।

(पैरा 76) चेतन मित्तल, वरिष्ठ अधिवक्ता अंशुल मंगला, अधिवक्ता और उदित गर्ग, अधिवक्ता और हिमांशु गुप्ता, अधिवक्ता और विनय आर्य, अधिवक्ता और ऋत्विक गर्ग, याचिकाकर्ता (ओं) के अधिवक्ता। ईडी के लिए विशेष वकील जोहेब हुसैन (वीसी के माध्यम से), जगज्योत सिंह लाली, डीएसजी, लोकेश नारंग, वरिष्ठ पैनल वकील ईडी साइमन बेंजामिन, एसपीपी, ईडी और मनीष वर्मा, अधिवक्ता और विवेक, अधिवक्ता और कार्तिक सभरवाल, अधिवक्ता और अभिप्रिया राज, ईडी के लिए अधिवक्ता।

विकास बहल, जे. (ORAL) (1) वर्तमान आदेश दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 (संक्षेप में 'सी. आर. पी. सी.') के तहत दायर दो याचिकाओं यानी दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू द्वारा दायर सी. आर. एम.-एम. <आई. डी. 1 और सी. आर. एम.-एम.-3385-2024 का निपटारा करेगा, क्योंकि दोनों मामलों में कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न उत्पन्न होते हैं और दोनों याचिकाएं एक ही ई. सी. आई. आर. से उत्पन्न होती हैं।

(2) इस निर्णय को निम्नलिखित धाराओं में विभाजित किया गया हैः

1

दोनों याचिकाओं में की गई प्रार्थनाएँ

पैरा 3 और 4

पेज 2 से 4

2

मामले के संक्षिप्त तथ्य

पैरा 5 से 7

पेज 4 से 8

3

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें

पैरा 8 से 13

पेज 8 से 20

4

उत्तरदाताओं की ओर से तर्क

पैरा 14 से 19 पी. जी. 20 से 30

5

खंडन में याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें

पैरा 20 से 29 पी. जी. 30 से 42

6

इस न्यायालय के निष्कर्ष

पैरा 30 से 75 पी. जी. 42 से 110

- दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

363

अन्य (विकास बहल, जे.)

क) आक्षेपित आदेश पारित करते समय विशेष न्यायालय द्वारा धारा 19 में निहित शर्तों/शर्तों का पालन न करना और उनका पालन न करना।

पारस 30 से 41 पी. जी. 42 से 61

बी) याचिकाकर्ताओं को 04.01.2024 से 08.01.2024 तक अवैध रूप से हिरासत में रखना/गलत तरीके से रोकना, जो कि 04.01.2024 पर ही गिरफ्तारी है और 24 घंटे के भीतर याचिकाकर्ताओं को पेश नहीं करने के कारण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के साथ पठित पीएमएलए की धारा 19 का परिणामी उल्लंघन है।

पारस 42 से 54 पी. जी. 61 से 79

ग) 2002 के अधिनियम की धारा 19 (2) के प्रावधानों का उल्लंघन

पारस 55 से 60 पी. जी. 79 से 91

घ) 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) का गैर-अनुपालन

पारस 61 से 66 पी. जी. 91 से 102

7

अतिरिक्त मुद्दे

पारस 67 से 75 पी. जी. 103 से

110

8

निष्कर्ष/राहत

पारस 76 से 79 पी. जी. 110 से

111

(3) याचिकाकर्ता दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू के मामले में निम्नलिखित प्रार्थना की गई हैः -

“इसलिए, यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान याचिका की अनुमति दी जाए और (ए) प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांकित (आईडी2) (अनुलग्नक पी-3); (बी) प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा तैयार किया गया दिनांकित (आईडी2) (अनुलग्नक पी-4); (सी) सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए, 2002 के तहत), गुरुग्राम द्वारा पारित दिनांकित (आईडी4) (अनुलग्नक पी-7) के विवादित आदेश को 2024 के (अनुलग्नक) सीआरएम (आईडी3) के माध्यम से आवेदन में पारित किया जाए। पी. एम. एल. ए. अधिनियम, 2002 की धारा 65 के तहत ई. सी. आई. आर. No.GNZO/19/2023 दिनांक 23.09.2023 में पी-6) का कृपया समर्थन किया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था और घोर दुरुपयोग में ईडी हिरासत में भेज दिया गया था और 364

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

यह भी प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता को हिरासत से तुरंत रिहा करने के लिए प्रतिवादियों को उचित अंतरिम आदेश/निर्देश जारी किए जाएं। यह भी प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कोई अन्य आदेश या निर्देश पारित कर सकता है जिसे वह वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे। ”

(4) याचिकाकर्ता कुलविंदर सिंह के मामले में प्रार्थनाएँ इस प्रकार हैंः -

विजय मदनलाल चौधरी और ओआरएस बनाम भारत संघ और अन्य। 2022 लाइव लॉ (एससी) 633; वी. सेंथिल बालाजी बनाम। राज्य का प्रतिनिधित्व उप निदेशक और अन्य द्वारा किया गया, 2023 लाइव लॉ (एससी) 611; और पंकज बंसल बनाम भारत संघ & ओआरएस। 2023 की आपराधिक अपील Nos.3051-3052 D/d 03.10.2023।

दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

365

अन्य (विकास बहल, जे.)

यह भी प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता को हिरासत से तुरंत रिहा करने के लिए प्रतिवादियों को उचित अंतरिम आदेश/निर्देश जारी किए जाएं। यह भी प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कोई अन्य आदेश या निर्देश पारित कर सकता है जिसे वह वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे। ”

मामले के संक्षिप्त तथ्यः - (5) 8 हरियाणा जिले के यमुना नगर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू के मामले में दायर किए गए जवाब के पैरा 1 में दी गई उक्त प्राथमिकियों का विवरण नीचे दिया गया हैः -

एस. नं.

एफ. आई. आर

अपराध की अनुसूची बनाएँ

1

0226 डीटी। 14.10.2022

भारत दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी और 420

2

0116 डीटी। 23.03.2023

भारत दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी, 411,420

3

0111 डीटी। 01.06.2023

भारत दंड संहिता, 1860 की धारा 420,467 और 471

4

0206 डीटी। 19.09.2022

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420

5

0216 डीटी। 30.09.2022

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 471

6

0204 डीटी। 14.09.2022

भारत दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी और 420

7

0033 डीटी। 10.02.2023

भारत दंड संहिता, 1860 की धारा 420,467 और 471

8

0054 डीटी। 16.02.2023

भारत दंड संहिता, 1860 की धारा 420,467 और 471

(6) यह विवाद में नहीं है कि दोनों याचिकाकर्ताओं को आज तक, गिरफ्तारी की तारीख यानी 08.01.2024 तक, उपरोक्त प्राथमिकियों में आरोपी नहीं बनाया गया है। याचिकाकर्ता दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू के मामले में दायर किए गए दिनांक 22.01.2024 के जवाब के पैरा ए (1) में यह संकेत दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने भी 366

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

वे आठ प्राथमिकियों में अभियुक्त थे, लेकिन उठाए गए एक विशिष्ट प्रश्न पर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील के साथ-साथ प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने निष्पक्ष रूप से कहा है कि याचिकाकर्ताओं को आज तक उक्त आठ प्राथमिकियों में से किसी में भी आरोपी नहीं बनाया गया है। याचिकाकर्ता कुलविंदर सिंह के मामले में दायर दिनांक 1 के जवाब में तथ्यों को सही ढंग से बताया गया है और उक्त पैराग्राफ यानी ए (1) में "याचिकाकर्ता" शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। चूंकि उपरोक्त प्राथमिकियां आई. पी. सी. की धारा 120-बी, 411,419,420,467 और 471 के तहत दर्ज की गई थीं, जो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (इसके बाद "2002 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) से जुड़ी अनुसूची के भाग ए पैराग्राफ I के तहत अनुसूचित अपराध हैं, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय ने धारा 3 के तहत परिभाषित और 2002 अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय धन शोधन के अपराध की जांच करने के लिए विभिन्न अभियुक्त व्यक्तियों, स्क्रीन प्लांट और स्टोन क्रशर के खिलाफ No.GNZO/19/2023 दिनांक 23.09.2023 वाला एक ईसीआईआर दर्ज किया। याचिकाकर्ता दिलबाग सिंह उर्फ दिलबाग संधू और राजिंदर सिंह के 410, फ्रेंड्स कॉलोनी, यमुना नगर स्थित आवासीय परिसर में 04.01.2024 (0825 घंटे) से 08.01.2024 (1300 घंटे) तक तलाशी ली गई और याचिकाकर्ता कुलविंदर सिंह, हाउस No.62, सेक्टर 14, हुडा, यमुना नगर के परिसर में 04.01.2024 से 08.01.2024 तक एक और तलाशी भी ली गई। याचिकाकर्ताओं का मामला है कि उन्हें अवैध रूप से 04.01.2024 पर हिरासत में लिया गया था/गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला है कि याचिकाकर्ता दिलबाग सिंह उर्फ दिलबाग संधू को उपरोक्त घर से 08.01.2024 पर 12.15 PM पर गिरफ्तार किया गया था और याचिकाकर्ता कुलविंदर सिंह को 08.01.2024 पर 02.20 PM पर हाउस No.62, सेक्टर 14, हुडा, यमुना नगर से गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला है कि अन्य स्थानों पर भी तलाशी ली गई। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, दोनों याचिकाकर्ताओं को 08.01.2024 पर गिरफ्तारी का लिखित आधार दिया गया था। याचिकाकर्ता दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू के संबंध में गिरफ्तारी के आधार पर, उपरोक्त 8 प्राथमिकियों का संदर्भ दिया गया था, विशेष रूप से, एफ. आई. आर. No.226 दिनांक 14.10.2022, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि एक ओम गुरु इकाई के संयंत्र और मशीनरी को एक साल पहले ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन बिक्री-खरीद रिकॉर्ड की जांच पर, यह पाया गया कि खरीदारी 10.05.2022 से 17.06.2022 तक की गई थी और उसी के संबंध में विक्रेता मैसर्स मुबारिकपुर रॉयल्टी कंपनी, पी. एस. बिल्डटेक थे और इसमें शामिल मात्रा 1688 थी। 30 मीट्रिक टन (लगभग का मूल्य। रु. 8. 4 करोड़) और खरीद रिकॉर्ड ई-रावण पोर्टल पर नहीं पाए गए, जिससे संकेत मिलता है कि उपरोक्त खरीद नकली ई-रावण के माध्यम से की गई थी। गिरफ्तारी के उक्त आधारों में आगे कहा गया कि इसमें दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

367

अन्य (विकास बहल, जे.)

(7) आई. डी. 1 पर, दोनों याचिकाकर्ताओं को विशेष अदालत (पी. एम. एल. ए.) गुरुग्राम, हरियाणा के समक्ष पेश किया गया और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दो अलग-अलग आवेदन दायर किए गए, 2002 के अधिनियम की धारा 65 के तहत, जिसे सी. आर. पी. सी. की धारा 167 के साथ पढ़ा गया, जिसमें याचिकाकर्ताओं की रिमांड की मांग की गई, जिसमें, आई. डी. 1 दिनांकित दो अलग-अलग आदेशों के माध्यम से, दोनों याचिकाकर्ताओं की सात दिनों की हिरासत विशेष न्यायाधीश, गुरुग्राम द्वारा प्रवर्तन निदेशालय को दी गई थी। 16.01.2024 पर, दोनों याचिकाकर्ताओं को दोनों याचिकाकर्ताओं की हिरासत बढ़ाने के लिए विशेष अदालत (PMLA) गुरुग्राम, हरियाणा के समक्ष पेश किया गया था और उक्त उद्देश्य के लिए 2002 अधिनियम की धारा 65 के साथ सीआरपीसी की धारा 167 के तहत 16.01.2024 पर दो अलग-अलग आवेदन दायर किए गए थे। विशेष न्यायाधीश (पी. एम. एल. ए.), गुरुग्राम ने दिनांक 1 के एक सामान्य आदेश के माध्यम से दोनों याचिकाकर्ताओं की रिमांड हिरासत को 7 दिनों की और अवधि के लिए बढ़ाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। आई. डी. 2 पर, दोनों याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम के समक्ष पेश किया गया और आई. डी. 2 दिनांकित एक सामान्य आदेश के अनुसार, दोनों याचिकाकर्ताओं को आई. डी. 1 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और तब से, दोनों याचिकाकर्ता न्यायिक हिरासत में हैं, जो भोंडसी जेल में बंद हैं। यह उक्त पृष्ठभूमि में है कि वर्तमान दो याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं के स्वयं पर तर्क

(8) याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील के पास पहले 368 हैं।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

प्रस्तुत किया कि 2002 के अधिनियम की धारा 19 (2) के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित अधिकारी को उक्त धारा की उप-धारा (1) के तहत आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद अपने कब्जे में सामग्री के साथ आदेश की एक प्रति निर्धारित तरीके से एक सीलबंद लिफाफे में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेजना आवश्यक है और उक्त न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को उक्त आदेश और सामग्री को ऐसी अवधि के लिए रखना आवश्यक है जो निर्धारित की जाए। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 2002 के अधिनियम की धारा 73 की उप-धारा (2) के खंड (ए) और (बी) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने धन-शोधन की रोकथाम (किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के आदेश की एक प्रति को सामग्री के साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और प्रतिधारण की अवधि) नियम 2005 (जिसे इसके बाद "2005 नियम (I)" के रूप में संदर्भित किया जाएगा और उप-नियम (2) और (2) के अनुसार) तैयार किया है। 4) उक्त नियमों के अनुसार, गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को लिफाफे को सील करने से पहले लिफाफे के अंदर (2005 नियम (I)) के साथ संलग्न फॉर्म-1 में एक पावती पर्ची रखनी होती है और नियमों के साथ संलग्न फॉर्म-II में एक पावती पर्ची के साथ बाहरी लिफाफे के अंदर मुहरबंद लिफाफा रखना होता है और उक्त प्रक्रिया का पालन करने के बाद गिरफ्तारी के आदेश और सामग्री की प्रति न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेजना होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियम 4 के अनुसार, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या उसकी अनुपस्थिति में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के कार्यालय के नामित अधिकारी को फॉर्म-II के साथ बाहरी सीलबंद लिफाफे की प्राप्ति पर फॉर्म-II को भरने और हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है और इसकी मुहर भी लगाने की आवश्यकता होती है और इसके बाद फॉर्म-II को सीलबंद लिफाफे की प्राप्ति के प्रतीक के रूप में गिरफ्तारी अधिकारी को अग्रेषित किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूरी प्रक्रिया नियम 3 और 4 के तहत प्रदान की गई है और 2002 अधिनियम की धारा 19 (2) के साथ पढ़े गए उक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि गिरफ्तारी के आदेश की प्रति और सामग्री संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रदान की जानी है। यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान मामले में, धारा 19 (2) का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है क्योंकि 2002 के अधिनियम की धारा 65 के तहत आवेदन में उक्त प्रावधान के अनुपालन का कोई संदर्भ नहीं है, जिसे धारा 167 के साथ पढ़ा गया है, जिसे प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ताओं की हिरासत की मांग करते हुए प्रवर्तन निदेशालय में दायर किया गया है और न ही गिरफ्तारी के आधार पर, व्यक्तिगत तलाशी ज्ञापन, गिरफ्तारी ज्ञापन, गिरफ्तारी आदेश या पंचनामे में भी इसके अनुपालन का कोई उल्लेख है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त दस्तावेजों में से किसी में भी, धारा 19 (2) के प्रावधानों के अनुपालन के लिए एक दूरस्थ संदर्भ भी नहीं दिया गया है और न ही उक्त अनुपालन को दर्शाने के लिए किसी तथ्य का उल्लेख किया गया है।

यह आगे दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

369

अन्य (विकास बहल, जे.)

विजय मदनलाल चौधरी और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय 1 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 934 2 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1244 370

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(11) याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि 2002 अधिनियम की धारा 19 (1) के प्रावधानों के अनुसार, जब संबंधित अधिकारी, अपने कब्जे में सामग्री के आधार पर और विश्वास करने का कारण होने के बाद (जो कारण लिखित रूप में दर्ज करने की आवश्यकता है) यह राय है कि संबंधित व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के दोषी हैं, तो संबंधित अधिकारी को उक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की शक्ति है और उसे गिरफ्तारी के आधार के बारे में उक्त व्यक्तियों को सूचित करने की आवश्यकता है और आगे धारा 19 के अनुसार विशेष अदालत या न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के भीतर उक्त व्यक्तियों को पेश करने की आवश्यकता है। (3) 2002 अधिनियम की धारा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त प्रावधानों को पढ़ने से पता चलेगा कि उनकी गिरफ्तारी की तारीख से, संबंधित व्यक्तियों को 24 घंटे की अवधि के भीतर अदालत के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है जैसा कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 19 (3) में विस्तृत किया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान मामले में, दोनों याचिकाकर्ताओं को अवैध रूप से 04.01.2024 पर हिरासत में लिया गया था और उन्हें अपने घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और इस प्रकार, वास्तव में, उन्हें 04.01.2024 पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। यह तर्क दिया जाता है कि यह तथ्य कि याचिकाकर्ताओं को उस परिसर में अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था जिसमें तलाशी ली गई थी, दस्तावेजों से स्पष्ट है

3 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 929 दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ

371

अन्य (विकास बहल, जे.)

4 2023 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 3598 5 1990 एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे 3 6 1996 (1) एपीएलजे 370 (एचसी) आंध्र प्रदेश 372

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(12) याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील ने आगे कहा है कि 2002 के अधिनियम की धारा 19 (3) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे उक्त प्रावधान की उप-धारा (1) के तहत गिरफ्तार किया गया है, उसे कथित गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से विशेष अदालत, न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, जो क्षेत्राधिकार रखने वाला मामला हो। यह प्रस्तुत किया जाता है कि Cr.P.C की धारा 167 (2). इस शब्द का उपयोग करती है "चाहे उसके पास मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र हो या नहीं" जबकि धारा 19 के प्रावधानों में विशेष रूप से यह आवश्यक है कि विशेष न्यायालय/न्यायिक मजिस्ट्रेट/महानगर मजिस्ट्रेट के पास विचाराधीन मामले के संबंध में अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। यह भी तर्क दिया जाता है कि 2002 के अधिनियम के तहत अपराध का मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालतों का गठन अधिनियम की धारा 43 के प्रावधानों के तहत किया जाना है और 2002 के अधिनियम की धारा 44 के स्पष्टीकरण में प्रावधान है कि जांच, जांच या मुकदमे के दौरान अधिनियम के तहत अपराध से निपटने के लिए विशेष अदालतों का अधिकार क्षेत्र अनुसूचित अपराध के संबंध में पारित किसी भी आदेश पर निर्भर नहीं होगा। यह तर्क दिया जाता है कि धारा 43 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने दिनांक 1 (अनुलग्नक पी-8) को एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार यमुना नगर के राजस्व जिले में किए गए अपराधों के लिए, अधिकार क्षेत्र का सक्षम न्यायालय अंबाला के सत्र न्यायाधीश का न्यायालय है, न कि सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम जहां याचिकाकर्ताओं को पेश किया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि धारा 19 (3) के अनुपालन के उद्देश्य से, न्यायालय की क्षमता को 09.01.2024 पर ही देखा जाना था जब याचिकाकर्ताओं को पहली बार उक्त न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। सीखा है।

7 2022 (13) एस. सी. सी. 542 दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

373

अन्य (विकास बहल, जे.)

मजिस्ट्रेट पर यह दायित्व है कि उसने उक्त पहलू पर विचार किया हो, अधिकारियों की विवादित कार्रवाई को केवल उक्त आधार पर ही दरकिनार किया जाना चाहिए। (13) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा है कि दोनों याचिकाकर्ताओं के संबंध में गिरफ्तारी के आधार 374 हैं।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

रूप बंसल बनाम भारत संघ और अन्य 8। सीखा है।

8 2023 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 3597 दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

375

अन्य (विकास बहल, जे.)

जिम्मेदारों के स्वयं पर तर्क (14) प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने पहले 2002 के अधिनियम की धारा 19 (3) का उल्लेख किया है और प्रस्तुत किया है कि दोनों याचिकाओं में दोनों याचिकाकर्ताओं को 376 से पहले पेश किया गया था।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

2002 के अधिनियम की धारा 19 (3) द्वारा प्रदान किए गए 24 घंटों के भीतर विषय वस्तु के साथ-साथ क्षेत्रीय दोनों के संबंध में अधिकारिता रखने वाला सक्षम विशेष न्यायालय। उत्तरदाताओं की ओर से दायर किए गए अतिरिक्त उत्तर दिनांक 29.01.2024 के साथ संलग्न अनुलग्नक R-2 का संदर्भ दिया गया है, जो कि दिनांक 05.01.2024 का पंचनामा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त पंचनामे के अवलोकन से पता चलता है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने हाउस नं. 816, सेक्टर 15-ए, फरीदाबाद और उक्त तलाशी 08 बजे शुरू हुई थीः 25 04.01.2024 पर सुबह का समय और 02 पर समाप्त हुआः 20 05.01.2024 पर सुबह और रुपये 7,74,600 की नकदी सहित कई बरामदगी का पता चला था, जिसमें से रु। 7. 50 लाख जब्त किए गए और घरेलू खर्चों के लिए 600/- रुपये की शेष राशि जारी की गई। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त घर एक ऐसे व्यक्ति रमन ओझा का है, जो कथित अतिरिक्त जवाब के पैराग्राफ 2 में बताया गया है, वह भी सिंडिकेट का सदस्य था और दिल्ली रॉयल्टी कंपनी में 50 प्रतिशत भागीदार था, जो एक साझेदारी फर्म थी जिसमें अपराध की बड़ी राशि दिल्ली रॉयल्टी कंपनी के बैंक खाते में नकद में जमा की गई थी और कहा कि रमन ओझा बैंक खाते संख्या में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता थे। 50200034561986 दिल्ली रॉयल्टी कंपनी। प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने आगे बताया है कि पैराग्राफ 2 में यह बताया गया है कि पैसा याचिकाकर्ता दिलबाग सिंह, उनके परिवार के सदस्यों और उनके व्यवसायों के खातों में भेजा गया था। यह तर्क दिया जाता है कि उक्त दिल्ली रॉयल्टी कंपनी, जैसा कि अतिरिक्त जवाब के पैराग्राफ 2 में कहा गया है, वही कंपनी है, जिसके बारे में याचिकाकर्ता दिलबाग सिंह की गिरफ्तारी के आधार पर संदर्भ दिया गया है और गिरफ्तारी के उक्त आधारों में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता दिलबाग सिंह की पत्नी नीतू कौर और उनके बेटे उदय सिंह संधू ने उक्त दिल्ली रॉयल्टी कंपनी में भारी राशि का निवेश किया है। यह तर्क दिया जाता है कि इस प्रकार, धन शोधन के अपराध के लिए कार्रवाई का एक हिस्सा फरीदाबाद में उत्पन्न हुआ था जो गुरुग्राम विशेष अदालत के अधिकार क्षेत्र में है। विद्वान वकील ने इस तथ्य को उजागर करने के लिए 1973 की धारा 177 और 178 के प्रावधानों का उल्लेख किया है कि ऐसी स्थिति में जहां अपराध में विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्य शामिल हैं, तो उस पर ऐसे किसी भी स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र वाले किसी भी न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि धारा 3 में परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बहुत व्यापक है और इसमें अपराध की आय को छिपाना, कब्जा करना, अधिग्रहण करना और उपयोग करना शामिल है, इस प्रकार, किसी भी विशेष न्यायालय को उस स्थान के अलावा अधिकार क्षेत्र है जहां अपराध की आय को या तो छुपाया जाता है या कब्जा कर लिया जाता है और उसके बाद बरामद किया जाता है, उक्त अपराध का मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र होगा और वह सक्षम दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ भी होगा।

377

अन्य (विकास बहल, जे.)

10 2010 (12) एससीसी 485 11 2020 (10) एससीसी 92 378

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

12 2010 (10) एस. सी. सी. 422

13 1991 (4) एस. सी. सी. 1 दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

379

अन्य (विकास बहल, जे.)

(16) 04.01.2024 से उनके अवैध निरोध के संबंध में याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गए तर्क का खंडन करने के लिए, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने दिलबाग सिंह की याचिका के पृष्ठ 12 का उल्लेख किया है ताकि यह उजागर किया जा सके कि याचिकाकर्ताओं के मामले के अनुसार, उन्हें 04.01.2024 के बाद से हिरासत में रखा गया था। यह तर्क दिया जाता है कि उक्त कथनों का विशेष रूप से दिलबाग सिंह के मामले में दायर किए गए पहले जवाब के पैरा 29 (बी) में जवाब दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि तलाशी की कार्यवाही के दौरान किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया गया था और सभी व्यक्तियों को उक्त कार्यवाही के दौरान उचित आराम और भोजन दिया गया था। उक्त उत्तर के पैरा 35 पर यह दिखाने के लिए भी प्रकाश डाला गया है कि याचिका में आधार (ग) में किए गए कथनों के जवाब में, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं पर उनकी गिरफ्तारी तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था और याचिकाकर्ता और अन्य व्यक्ति सामान्य प्रथा के अनुसार तलाशी की अवधि के दौरान अपने परिसरों में (गलत तरीके से उल्लिखित) घूमने के लिए स्वतंत्र थे और इसे निरोध नहीं कहा जा सकता है और पीएमएलए की धारा 17 जो तलाशी और जब्ती से संबंधित है, कुछ आवश्यकताओं को अनिवार्य करती है जिनका विधिवत पालन किया गया था। उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने यह दिखाने के लिए दिनांक 29.01.2024 के अतिरिक्त जवाब का उल्लेख किया है कि इसमें यह कहा गया है कि धन-शोधन की रोकथाम के नियम 3 उप नियम 7 और 8 (प्रपत्र, खोज और जब्ती [या फ्रीजिंग] और कारण और सामग्री को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को अग्रेषित करने का तरीका, अभिलेखों को जब्त करना और अभिरक्षा और प्रतिधारण की अवधि) नियम 2005 (इसके बाद "2005 नियम II" के रूप में संदर्भित), याचिकाकर्ताओं और परिसर में मौजूद अन्य व्यक्तियों के कब्जे/नियंत्रण में थे। लॉकर, सेफ, अलमीरा, दस्तावेज़ आदि और इस प्रकार, परिसर के भीतर उनकी उपस्थिति को सुरक्षित करना महत्वपूर्ण था ताकि उनकी सामग्री तक पहुंच हो, उनका निरीक्षण/जांच हो और अपराध की संभावित आय के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ से बचा जा सके और यह भी कि उन्हें अपनी दिनचर्या का पालन करने की अनुमति दी गई थी और उन्हें परिसर में हिरासत में या अनिवार्य रूप से नहीं रखा गया था। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता अपनी वसीयत पर परिसर के भीतर थे और उन्होंने खुद तलाशी के दौरान परिसर में रहने की पेशकश की थी। (17) विद्वान वकील ने 2005 के नियम (II) का अधिक उल्लेख किया है, नियम 3 उप नियम 7 और उप नियम 8 के साथ-साथ नियम 4 उप नियम 2 का 380 में उल्लेख किया है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

उपरोक्त तथ्यों और उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता अवैध हिरासत में थे। (18) प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि गिरफ्तारी के आधार के पहलू पर याचिका जो याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई है, वह आधार 3 में है और उक्त आधार में दावा केवल इस प्रभाव के लिए है कि गिरफ्तारी के आधार पर, गिरफ्तारी अधिकारी ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं ने जांच में सहयोग नहीं किया और अस्पष्ट और टालमटोल जवाब दिए थे, जिसके कारण याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करने का एकमात्र कारण उक्त कारण नहीं है और याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करने के कारण स्पष्ट रूप से गिरफ्तारी के आधारों से आ रहे हैं जो याचिका के साथ संलग्न किए गए हैं और गिरफ्तारी के उक्त आधारों में, प्राथमिकी का विवरण जो अनुसूचित अपराधों से संबंधित है, उल्लेख किया गया था और मामले की पृष्ठभूमि दी गई थी और ऐसे हर पहलू का उल्लेख किया गया है जिसका उल्लेख गिरफ्तारी के आधार पर कानून के अनुसार किया जाना आवश्यक था। यह कहा गया है कि पैराग्राफ 13 में सहायक निदेशक द्वारा यह भी कहा गया है कि रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री के आधार पर, उनके पास यह मानने का कारण था कि 14 2021 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 4599

15 2014 (16) एस. सी. सी. 623 दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

381

अन्य (विकास बहल, जे.)

दोनों मामलों में याचिकाकर्ता धारा 3 के तहत परिभाषित धन शोधन के अपराध के दोषी हैं और पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय हैं। यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने गिरफ्तारी के उक्त आधारों को कोई विशिष्ट चुनौती नहीं दी है और यह भी नहीं कहा है कि गिरफ्तारी के उक्त आधार अपर्याप्त हैं या गिरफ्तारी के आधारों को पढ़कर अपराध नहीं बनता है। यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने याचिकाएं दायर की थीं, इसलिए यह दिखाने की जिम्मेदारी याचिकाकर्ताओं पर थी कि गिरफ्तारी के आधार की सामग्री गलत थी और याचिकाकर्ताओं को उन तथ्यों और परिस्थितियों से नहीं जोड़ा गया था जिनका उल्लेख गिरफ्तारी के आधार पर किया गया था, जिसे वे पूरा करने में विफल रहे हैं। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि चुनौती का उक्त आधार भी पूरी तरह से गलत है और अस्वीकार किए जाने योग्य है। (19) 2002 के अधिनियम की धारा 19 (2) में निहित शर्तों का पालन न करने के पहलू पर, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने विजय मदनलाल चौधरी के मामले (उपरोक्त) में फैसले के पैरा (आई. डी. 1) को यह तर्क देने के लिए संदर्भित किया है कि गिरफ्तारी करने से पहले अधिकृत अधिकारी द्वारा केवल 'पूर्व शर्तों' को पूरा करने के लिए संदर्भ दिया गया था। यह तर्क दिया जाता है कि 2002 के अधिनियम की धारा 19 (2) के प्रावधान एक ऐसी स्थिति से संबंधित हैं जो गिरफ्तारी के बाद की है और इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इरादा यह देखते हुए कि 2002 के अधिनियम की धारा 19 में शर्तें सख्त हैं और उच्च मानक की हैं, 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) के प्रावधानों के संदर्भ में हैं, न कि 2002 के अधिनियम की धारा 19 (2) के संदर्भ में। यह आगे तर्क दिया जाता है कि 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत शर्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के लिए संदर्भित है, लेकिन 2002 के अधिनियम की धारा 19 (2) का अनुपालन उसी के लिए संदर्भित नहीं है और इस प्रकार, इसके अनुपालन में देरी केवल एक अनियमितता होगी और अवैधता नहीं होगी। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यदि 2002 के अधिनियम की धारा 19 (2) का अनुपालन अनिवार्य माना जाता है, तो भी इसका उल्लंघन विवादित आदेश को दरकिनार करने और याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी को अवैध ठहराने का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा उक्त कथित उल्लंघन के कारण कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखाया गया है। विद्वान वकील ने आगे वी. सेंथिल बालाजी के मामले (उपर्युक्त) के पैराग्राफ <आईडी1 का उल्लेख करते हुए तर्क दिया है कि उक्त पैरा में यह देखा गया था कि 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) के अधिदेश का कोई भी गैर-अनुपालन गिरफ्तारी को ही दूषित कर देगा, लेकिन हालांकि उप-धारा 19 (2) के संबंध में, यह कहा गया था कि यह गिरफ्तारी प्राधिकरण का एक गंभीर कार्य है जो कोई अपवाद नहीं है, फिर भी उक्त पैराग्राफ में इसके परिणाम का उल्लेख नहीं किया गया है। नीरज सिंघल बनाम 382 के निदेशालय के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर और अधिक निर्भरता रखी गई है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

16 2013 (12) एस. सी. सी. 539

17 2016 (2) एस. सी. सी. 607 दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

383

अन्य (विकास बहल, जे.)

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ सलाहकारों के तर्क (20) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने खंडन में प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि दोनों याचिकाकर्ताओं को 04.01.2024 से 08.01.2024 तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी नं। 2 याचिकाकर्ता-दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू के मामले में दिनांक 29.01.2024 का एक अतिरिक्त जवाब दायर किया गया है जिसे दिनांक 22.01.2024 के पहले जवाब में किए गए कथनों का खंडन करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि पहले जवाब में कोई संशोधन नहीं किया गया है और न ही इसकी अनुमति दी गई है। यह कहा गया है कि यदि उक्त अतिरिक्त उत्तर पर विचार किया जाता है, तो भी उत्तर के ग्राउंड एफ (आंतरिक पृष्ठ 18 पर) के अवलोकन से पता चलेगा कि प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा 2005 के नियम (II) के नियम 3 (7) और (8) पर निर्भरता रखी गई है और उक्त उत्तर में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं और परिसर में मौजूद अन्य व्यक्तियों के पास लॉकर, सेफ, अलमारी, दस्तावेज आदि का कब्जा/नियंत्रण था और इसलिए परिसर के भीतर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने "परिसर के भीतर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए" शब्दों पर प्रकाश डाला है और प्रस्तुत किया है कि जवाब में उपयोग की गई उक्त अभिव्यक्ति याचिकाकर्ताओं के मामले को आगे बढ़ाती है कि उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ सदन में 04.01.2024 से 08.01.2024 तक अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था और उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। उक्त तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने 2002 के अधिनियम की धारा 17 का उल्लेख किया है जो तलाशी और जब्ती से संबंधित है और '2005 के नियमों' का भी उल्लेख किया है जिन पर प्रतिवादी ने भरोसा किया है। यह तर्क दिया जाता है कि 2005 के नियम (II) के नियम 3 के उप नियम 8 के अनुसार, एक रहने वाले या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को तलाशी में भाग लेने का अधिकार दिया गया है और केवल उक्त प्रावधान से पता चलता है कि याचिकाकर्ता या किसी भी व्यक्ति को, जो रहने वाला है, तलाशी लेने के लिए परिसर में हिरासत में नहीं लिया जा सकता था क्योंकि परिसर में रहना रहने वाले या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के लिए एक विकल्प है। यह तर्क दिया जाता है कि उक्त प्रावधान प्रतिवादी अधिकारियों के इस रुख को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है कि तलाशी के उद्देश्य से, उन्हें याचिकाकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों को परिसर में रखने का अधिकार है ताकि उनकी तलाशी को आगे बढ़ाया जा सके। यह तर्क दिया जाता है कि उप नियम 7 में भी, जिस पर प्रत्यर्थी अधिकारियों द्वारा भरोसा किया गया है, "हो सकता है" और "नहीं होगा" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है और इस प्रकार, एक व्यक्ति, जो मालिक है और कब्जे में है, उसे इसे खोलने और 384 की अनुमति देने की आवश्यकता हो सकती है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

पहुँच और जहाँ ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी भी आवश्यकता का पालन करने में विफल रहता है, तो अधिकारी ऐसे डिब्बे, लॉकर, सेफ आदि का ताला तोड़ने के हकदार हैं और इस प्रकार, उक्त प्रावधानों को पढ़ने से भी पता चलता है कि अधिकारियों की उपस्थिति या आदेश का पालन न करने के मामले में भी, अधिकारियों को बॉक्स आदि को तोड़ने का अधिकार होगा, इस प्रकार, उनकी खोज में बाधा नहीं आएगी। (21) विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे दोनों मामलों में पंचनामे का उल्लेख करते हुए तर्क दिया है कि उक्त दो पंचनामों के अवलोकन से भी स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों को 5,6,7 और 8 जनवरी, 2024 को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया था और यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेज नहीं रखा गया है कि अधिकारियों ने कभी भी दोनों याचिकाकर्ताओं में से किसी को भी तलाशी और निरीक्षण के उद्देश्य से कोई बॉक्स, लॉकर, सेफ, अलमीरा आदि खोलने का निर्देश दिया है। यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता-दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू के मामले में पंचनामा (अनुलग्नक पी-1) के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि तलाशी 08 से शुरू हुई थीः 25 04.01.2024 पर घंटे और 13 बजे 08.01.2024 पर समाप्त हुआ थाः 00 उक्त तलाशी के समय किए गए कार्यों के घंटे और विवरण का उल्लेख किया गया है और यह कहा गया है कि वास्तविक खोज 08 बजे शुरू हुई थीः 40 04.01.2024 पर घंटे और यह केवल 04.01.2024 पर है कि अधिकारी ने अलमारी/अलमारी, दराज आदि में दस्तावेजों की जांच करके परिसर की तलाशी ली थी और 04.01.2024 के बाद किसी भी बाद की तारीख को परिसरों/अलमारी आदि की किसी भी खोज के संबंध में उक्त पंचनामे में ऐसा कोई कथन नहीं है और इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं को उनकी सहमति के बिना परिसर में रखना तलाशी के उद्देश्य से अवैध हिरासत के बराबर होगा। याचिकाकर्ता-कुलविंदर सिंह के मामले में पंचनामे का भी संदर्भ दिया गया है, जिसे उक्त याचिका में अनुलग्नक पी-1 के रूप में भी जोड़ा गया है और यह तर्क दिया गया है कि उक्त मामले में भी तलाशी 04.01.2024 पर शुरू हुई थी और यह केवल 04.01.2024 पर है जब कमरे का ताला, जिसकी चाबी उपलब्ध नहीं थी, एक ताला बनाने वाले को बुलाकर तोड़ा गया था और उक्त व्यक्ति को सहायक निदेशक राकेश कुमार ने बुलाया था और ताला तोड़ने का काम भीम सिंह के बेटे मनोज कुमार की उपस्थिति में किया गया था, जो लेखाकार के रूप में काम कर रहे थे। पिछले 5 वर्षों से कुलविंदर सिंह के लिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त पंचनामे में आगे यह दर्ज किया गया है कि उसी दिन उक्त कमरे में मौजूद अलमारी को भी उसी का ताला तोड़कर खोला गया था और उसके बाद की तारीखों यानी 05,6,7 और 8 जनवरी, 2024 को ऐसी किसी घटना का उल्लेख नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता-कुलविंदर सिंह के मामले में उक्त पंचनामे के समापन भाग में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि "परिसर में मौजूद सभी लोग दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

385

अन्य (विकास बहल, जे.)

भारत सरकार 18, अधिक तो पैरा No.10 से उसी के 15। यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को अंतिम पैरा (दिनांक 29.01.2024 के अतिरिक्त उत्तर के पृष्ठ 19 पर) में किए गए कथनों पर कड़ी आपत्ति है और उन्होंने प्रस्तुत किया है कि वे इसके विपरीत हैं 18 2022 (आई. एल. आर.) छत्तीसगढ़ 2202 386

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(22) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले, संबंधित अधिकारी के लिए यह विश्वास करने का कारण होना आवश्यक है, जिसे लिखित रूप में दर्ज करने की आवश्यकता है कि गिरफ्तार किया जाना चाहता व्यक्ति अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है और यह विश्वास करने का उक्त कारण उसके पास मौजूद सामग्री के आधार पर होना चाहिए। यह तर्क दिया जाता है कि उपरोक्त प्रावधान में अनिवार्य रूप से यह परिकल्पना की गई है कि जिस सामग्री को अधिकारी ने एकत्र किया है और जिसके आधार पर उसने विश्वास करने का उक्त कारण बनाया है, वह गिरफ्तारी की तारीख को अधिकारी के पास होना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके, उसे आरोपी को ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करना आवश्यक है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि 2002 के अधिनियम की उप-धारा (2) के तहत, उक्त अधिकारी कर्तव्यबद्ध है कि वह उक्त सामग्री को, जो पहले से ही एकत्र की गई है, एक सीलबंद लिफाफे में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेजे ताकि उक्त सामग्री के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सके और मामले में अधिकारी को यह प्रदर्शित करने के लिए बुलाया जाता है कि गिरफ्तारी की तारीख को उसके पास यह विश्वास करने के लिए सामग्री थी कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति दोषी था और यदि उक्त सामग्री भेजने में कोई देरी होती है तो उसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति हो सकती है जहां गिरफ्तारी के बाद की सामग्री को भी अग्रेषित किया जा सकता है ताकि गिरफ्तारी को उचित ठहराया जा सके। जो पहले भी हुआ था। यह कहा गया है कि यह उक्त कारण है कि 2002 के अधिनियम की उप-धारा (2) में "गिरफ्तारी के तुरंत बाद" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है, जो "जितनी जल्दी हो सके" अभिव्यक्ति के बजाय तात्कालिकता की उच्च डिक्री को दर्शाती है। यह तर्क दिया जाता है कि राम किशोर अरोड़ा बनाम प्रवर्तन निदेशालय 19 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि "जितनी जल्दी हो सके" अभिव्यक्ति का अर्थ आरोपी की गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर होगा, जिसके भीतर उसे गिरफ्तारी के आधार के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाना था। यह आगे कहा गया है कि 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) में उपयोग की गई अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पहले से ही कब्जे में सामग्री के आधार पर, 24 घंटे का उक्त समय दिया गया है।

19 2023 (एससीसी ऑनलाइन) एससीसी 1682 दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

387

अन्य (विकास बहल, जे.)

संबंधित अधिकारी द्वारा मसौदा तैयार किया जाना था। दूसरी ओर, यह कहा गया है कि उप-धारा (2) के तहत उपयोग की गई अभिव्यक्ति "तुरंत" है और इसका आवश्यक रूप से अर्थ है कि गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे बीतने से बहुत पहले सामग्री को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेजा जाना चाहिए क्योंकि संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले ही उक्त सामग्री प्राधिकरण के कब्जे में है। यह आगे कहा गया है कि उक्त सामग्री को 24 घंटे की अवधि के भीतर और रिमांड के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने से पहले भेजना आवश्यक होगा ताकि मजिस्ट्रेट को यह प्रदर्शित किया जा सके कि 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) और 19 (2) का पूर्ण अनुपालन है और यह केवल उस स्थिति में है जब सामग्री भेजी गई है और रिमांड के लिए आवेदन में उक्त तथ्य का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि विशेष न्यायालय कानून के अधिदेश के अनुसार उक्त तथ्य की सराहना करने और अपने आदेश में ऐसा रिकॉर्ड करने में सक्षम होगा। यह कहा गया है कि वर्तमान मामले में, चूंकि यह प्रतिवादी प्राधिकरण का स्वीकृत मामला है कि उन्होंने उस सामग्री को नहीं भेजा था जिसे उन्होंने उस तारीख को एकत्र किया था जब रिमांड दी गई थी, यानी पहले अवसर पर, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि 2002 अधिनियम की धारा 19 (2) के प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसे 2002 अधिनियम की धारा 19 (2) के उक्त प्रावधान के अनुपालन के संबंध में आक्षेपित आदेश में कोई अवलोकन नहीं होने से और बढ़ाया गया है। (23) याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि दिनांकित अतिरिक्त उत्तर के पैरा 3 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) के साथ-साथ 2002 के अधिनियम की धारा 19 (2) का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाताओं के रुख के अनुसार घटनाओं का पूरा क्रम, पैरा Nos.3 (ए) से 3 (ई) में बताया गया है और घटनाओं के उक्त क्रम से पता चलता है कि कुछ नकदी, दस्तावेज और वाहन जब्त किए गए थे, जिसके बारे में उत्तरदाताओं के रुख के अनुसार प्रारंभिक जांच की आवश्यकता थी और यह आगे कहा गया है कि अंतिम तलाशी 03 तक आयोजित की गई थीः 00 प्रधान मंत्री, जो याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद थी क्योंकि याचिकाकर्ताओं को 12 बजे गिरफ्तार किया गया थाः 15 पीएम और 2: 20 08.01.2024 पर पीएम। यह तर्क दिया जाता है कि यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि गिरफ्तारी से पहले, सामग्री की उनके द्वारा पहले ही जांच की जा चुकी थी और सामग्री के आधार पर, गिरफ्तार करने वाले अधिकारी ने विश्वास करने का कारण बनाया था और कहीं भी यह नहीं कहा गया था कि विश्वास करने का उक्त कारण लिखित रूप में दर्ज किया गया था, इस प्रकार 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) का भी उल्लंघन है। यह तर्क दिया जाता है कि उपखंड (ग) में किए गए अभिकथनों के अनुसार भी, प्रत्यर्थियों के मामले के अनुसार एकमात्र मुद्दा, जिस पर विशेष न्यायालय विचार कर रहा था, वह अधिकारिता का मुद्दा था और ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है कि 388 की धारा 19 (1) और 19 (2) का अनुपालन किया गया है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(24) याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने अधिकारियों की ओर से दायर किए गए पहले उत्तर दिनांक (आईडी1) के पैराग्राफ 29 (एच) और (आई) (आंतरिक पृष्ठ 18) का भी उल्लेख किया है और प्रस्तुत किया है कि उक्त पैराग्राफ में भी प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा यह दावा नहीं किया गया है कि उनके कब्जे में मौजूद सामग्री के आधार पर उनके पास यह मानने का कारण था कि याचिकाकर्ता अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के दोषी थे, बल्कि यह केवल कहा गया है कि गिरफ्तारी "याचिकाकर्ता के खिलाफ धन शोधन करने के प्रथम दृष्टया मामले" का पता लगाने पर की गई थी और इस टिप्पणी पर कि याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया था। अपराध करने में शामिल होना और उक्त कारण याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हो सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि दोनों याचिकाकर्ता किसी भी प्राथमिकी में आरोपी नहीं हैं, जिसका उल्लेख गिरफ्तारी के आधार पर किया गया है और गिरफ्तारी के आधारों के अवलोकन से यह नहीं पता चलता है कि अपराध की आय जो कथित रूप से याचिकाकर्ता के कब्जे में बताई गई है या याचिकाकर्ताओं से कथित रूप से बरामद की गई है, संबंधित है या गिरफ्तारी के आधार में उल्लिखित आठ प्राथमिकियों में दिए गए अनुसूचित अपराधों के साथ कोई संबंध है। (25) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि विजय मदनलाल चौधरी के मामले (उपरोक्त) में पारित फैसले के पैरा 311 के अवलोकन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विश्वास करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और उनके दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ में सामग्री के साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को "समकालीन रूप से" भेजा जाना चाहिए।

389

अन्य (विकास बहल, जे.)

20 2011 (14) एससीसी 770 21 2010 (9) एससीसी 618 390

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

इस न्यायालय के निष्कर्ष

22 2016 (2) एस. सी. सी. 607 दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

391

अन्य (विकास बहल, जे.)

(I) विशेष न्यायालय द्वारा धारा 19 में लागू की गई शर्तों/प्रावधानों को मन से लागू न करना और उनकी अनुपालना न करना, जबकि विवादित माँग आदेशों को पारित करना। (31) शुरुआत में, कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ-साथ उक्त मुद्दे पर प्रासंगिक निर्णयों को नोट करना सरल होगा। 2002 के अधिनियम की धारा 19, जो गिरफ्तारी की शक्ति से संबंधित है और वर्तमान मुद्दे पर निर्णय लेने के उद्देश्य से प्रासंगिक है, नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः -

मामला हो सकता है, जिसका अधिकार क्षेत्र हैः बशर्ते कि चौबीस घंटे की अवधि में गिरफ्तारी के स्थान से [विशेष न्यायालय या] मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय शामिल नहीं होगा।

उपरोक्त धारा के अवलोकन से पता चलेगा कि वही 392

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

इसमें तीन उप-अनुभाग हैं। उप-धारा 1 के तहत, संबंधित अधिकारी जो निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य अधिकारी हो सकता है, किसी व्यक्ति को उसके पास मौजूद सामग्री के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है, उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई भी व्यक्ति अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है। उप-धारा 1 में आगे यह प्रावधान है कि गिरफ्तारी के बाद, इस तरह से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को "जितनी जल्दी हो सके" ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाना आवश्यक है। धारा 19 की उप-धारा 2 में यह प्रावधान है कि जिस अधिकारी ने संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, उसे अपने कब्जे में मौजूद सामग्री के साथ आदेश की एक प्रति, जिसके आधार पर उसे यह विश्वास करने का कारण था कि उक्त व्यक्ति अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी था, उस तरीके से सीलबंद लिफाफे में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को "तुरंत" अग्रेषित करने की आवश्यकता है जो निर्धारित किया जा सकता है। उप-धारा 3 में आगे यह प्रावधान है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर विशेष न्यायालय या न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा, जैसा कि मामला अधिकार क्षेत्र में हो। (32) वी. सेंथिल बालाजी (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि धारा 19 के प्रावधान अनिवार्य हैं और उक्त प्रावधानों का अनुपालन गिरफ्तारी प्राधिकरण का एक गंभीर कार्य है जो कोई अपवाद नहीं है और संबंधित अधिकारी को धारा 19 के अधिदेश का सख्ती से पालन करना है, जिसमें विफल रहने पर उन्हें 2002 के अधिनियम के तहत उल्लिखित परिणामों के साथ देखा जाएगा। यह भी कहा गया कि जिस न्यायालय/मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को धारा 19 (3) के तहत निर्धारित 24 घंटे की अवधि के भीतर पेश किया जाता है, उसकी एक अलग भूमिका है और यह देखना उसका बाध्यकारी कर्तव्य है कि 2002 के अधिनियम की धारा 19 का विधिवत पालन किया गया है और कोई भी विफलता गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का हकदार बनाएगी। यह देखा गया कि उक्त न्यायालय/मजिस्ट्रेट 2002 अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश पर विचार करेगा और 2002 अधिनियम की धारा 19 के तहत अनिवार्य सुरक्षा उपायों के अनुपालन के बारे में खुद को संतुष्ट करेगा और इस तरह संतुष्ट होने के बाद, सक्षम न्यायालय/मजिस्ट्रेट प्रतिवादी प्राधिकरण के पक्ष में हिरासत के अनुरोध पर विचार कर सकता है। पैरा 95 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला था कि 2002 के अधिनियम की धारा 19 के अधिदेश का कोई भी गैर-अनुपालन गिरफ्तार व्यक्ति के लाभ के लिए सुनिश्चित होगा। उक्त निर्णय के पैरा 39,42,73,74 और 95 (ii) को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

“ 39. गिरफ्तारी के लिए, एक अधिकृत अधिकारी को अपने पास मौजूद सामग्री का आकलन और मूल्यांकन करना होता है।

दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

393

अन्य (विकास बहल, जे.)

अन्यथा। न्यायिक आदेश पारित करते समय इस महत्वपूर्ण कारक को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हम दोहराते हैं कि पी. एम. एल. ए., 2002 की धारा 19, सी. आर. पी. सी., 1973 की धारा 167 द्वारा पूरक, एक गिरफ्तार व्यक्ति को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है। यदि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 लागू नहीं होती है, तो 394 में मजिस्ट्रेट की कोई भूमिका नहीं है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

मजिस्ट्रेट द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका, रिमांड के लिए, हम आगे नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि इस न्यायालय द्वारा सत्यजीत बल्लूभाई देसाई बनाम गुजरात राज्य, (2014) 14 एस. सी. सी. 434 में इस पर विचार किया गया हैः “9. कानूनी स्थिति और मामले के मौजूदा तथ्यों के आलोक में इसमें शामिल मुद्दे पर विचार करने और विचार-विमर्श करने के बाद, हम अपीलकर्ताओं की ओर से उठाई गई याचिका में तथ्य पाते हैं कि पुलिस रिमांड के लिए आदेश देना एक अपवाद होना चाहिए न कि एक नियम और इसके लिए जांच एजेंसी को एक मजबूत मामला बनाने की आवश्यकता है और उसे विद्वान मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करना चाहिए कि पुलिस हिरासत के बिना पुलिस अधिकारियों के लिए आगे की जांच करना असंभव होगा और केवल उसी स्थिति में पुलिस हिरासत को उचित ठहराया जाएगा क्योंकि विशेष रूप से मजिस्ट्रेट स्तर पर अधिकारी खुद को याद दिलाना अच्छा करेंगे कि पुलिस हिरासत में हिरासत आम तौर पर अस्वीकृत है। कानून द्वारा।

कानून के प्रावधानों में दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

395

अन्य (विकास बहल, जे.)

95. कानून का सारांशः XXX XXX ii. पी. एम. एल. ए., 2002 की धारा 19 के अधिदेश का कोई भी गैर-अनुपालन गिरफ्तार व्यक्ति के लाभ के लिए सुनिश्चित होगा। इस तरह के गैर-अनुपालन के लिए, सक्षम न्यायालय के पास पीएमएलए, 2002 की धारा 62 के तहत कार्रवाई शुरू करने की शक्ति होगी। ”

(33) पंकज बंसल के मामले (उपरोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य को दोहराया था कि जिस न्यायालय ने गिरफ्तार व्यक्ति को रिमांड पर लेने की धारा 167 के तहत कवायद की है, उसका कर्तव्य यह सत्यापित करना और यह सुनिश्चित करना है कि 2002 के अधिनियम की धारा 19 की शर्तें विधिवत संतुष्ट हैं और यदि न्यायालय अपने कर्तव्य का सही तरीके से निर्वहन करने में विफल रहता है और उचित परिप्रेक्ष्य में, रिमांड का आदेश केवल उक्त आधार पर ही विफल होना होगा। उक्त मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संबंधित न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष भी दर्ज नहीं किया था कि उन्होंने गिरफ्तारी के आधारों का अध्ययन किया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या संबंधित अधिकारी ने यह विश्वास करने के लिए कारण दर्ज किए थे कि अपीलकर्ता 2002 के अधिनियम के तहत अपराध के दोषी थे और 2002 के अधिनियम की धारा 19 के अधिदेश का उचित अनुपालन किया था और उक्त पहलुओं और अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने के बाद, अपील की अनुमति दी थी और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश के साथ-साथ विवादित गिरफ्तारी आदेश और गिरफ्तारी ज्ञापन के साथ-साथ रिमांड के आदेश और अन्य सभी पहलुओं को रद्द कर दिया था। परिणामी आदेश और उसमें अपीलार्थी को रिहा कर दिया था। उक्त निर्णय के पैरा 16 से 19 को 396 में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

नीचे दिया गया हैः - “16. इस न्यायालय को वी. सेंथिल बालाजी बनाम 2002 के अधिनियम के प्रावधानों पर फिर से विचार करने का अवसर मिला। राज्य का प्रतिनिधित्व उप निदेशक और अन्य द्वारा किया जाता है, और विशेष रूप से, इसकी धारा 19। यह नोट किया गया कि अधिकृत अधिकारी संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र है जब उसे यह विश्वास करने का कारण मिल जाता है कि वह 2002 के अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है, लेकिन उसे कारणों को दर्ज करने का अनिवार्य कर्तव्य भी निभाना चाहिए। यह इंगित किया गया था कि इस अभ्यास के बाद उनकी गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दी जानी चाहिए

मुक्त करने के लिए। यह बताया गया कि धारा 167 Cr.P.C अधिनियम की धारा 19 को प्रभावी बनाने के लिए है। 2002 और इसलिए, यह मजिस्ट्रेट के लिए है कि वह 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश का अध्ययन करके अपने उचित अनुपालन के बारे में खुद को संतुष्ट करे और केवल इस तरह की संतुष्टि पर, मजिस्ट्रेट किसी प्राधिकरण के पक्ष में हिरासत के अनुरोध पर विचार कर सकता है। इसे अन्यथा रखने के लिए, इस न्यायालय के अनुसार, मजिस्ट्रेट उपयुक्त प्राधिकारी है जिसे दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

397

अन्य (विकास बहल, जे.)

19. इस संदर्भ में देखे जाने पर, अवकाश न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पंचकूला द्वारा पारित दिनांक 1 का रिमांड आदेश, आदेश के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में उनकी ओर से पूरी तरह से विफलता को दर्शाता है। अपेक्षित मानक। विद्वान न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष भी दर्ज नहीं किया कि उन्होंने गिरफ्तारी के आधारों का अध्ययन किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या ईडी ने 398 पर कारण दर्ज किए थे

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

यह मानते हुए कि अपीलार्थी 2002 के अधिनियम के तहत एक अपराध के दोषी थे और 2002 के अधिनियम की धारा 19 के अधिदेश का उचित अनुपालन किया गया था। उन्होंने केवल इतना कहा कि अपराधों की गंभीरता और जांच के चरण को ध्यान में रखते हुए, उन्हें विश्वास था कि वर्तमान मामले में आरोपी व्यक्तियों से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है और उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया गया! सजा-'यह आगे (एस. आई. सी.) है कि कानून के सभी आवश्यक आदेशों का पालन किया गया है' निम्नलिखित-'यह अभियोजन पक्ष का मामला है। ’ और इसकी निरंतरता प्रतीत होती है, जैसा कि 'आगे' शब्द से संकेत मिलता है, और यह विद्वान न्यायाधीश द्वारा उस प्रभाव के लिए अपनी संतुष्टि की रिकॉर्डिंग नहीं है। ”

(34) यह ध्यान देने योग्य होगा कि राम किशोर अरोड़ा (ऊपर) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि चूंकि, पंकज बंसल (ऊपर) के फैसले में, उसने गिरफ्तारी के आधार को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, इसलिए "अब से", यह देखा गया कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार को लिखित रूप में प्रस्तुत करने की उक्त आवश्यकता उक्त फैसले की तारीख के बाद अनिवार्य/अनिवार्य होगी और पंकज बंसल (ऊपर) के मामले में निर्णय की घोषणा की तारीख तक गिरफ्तारी के आधार को लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं करना होगा। ऊपर) को दोष नहीं दिया जा सकता था। यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि पंकज बंसल (उपरोक्त) के मामले में फैसला 03.10.2023 पर सुनाया गया था, जबकि वर्तमान मामले में दोनों याचिकाकर्ताओं को 08.01.2024 पर अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार और 04.01.2024 पर याचिकाकर्ताओं के मामले के अनुसार गिरफ्तार किया गया है, जो उक्त फैसले की घोषणा की तारीख के बाद है। राम किशोर अरोड़ा (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा था कि धारा 19 (1) में "जितनी जल्दी हो सके" शब्द का अर्थ गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने के लिए उचित रूप से सुविधाजनक या यथोचित रूप से आवश्यक समय होगा, जो उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर होगा। उक्त मामले में, फैसले के पैरा 3 और पैरा 24 में चुनौती का एकमात्र आधार यह था कि उसमें अपीलार्थी को उसकी गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के आधार की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई थी और चूंकि उस मामले में उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी 27.06.2023 पर थी जो पंकज बंसल के मामले में निर्णय की घोषणा की तारीख से पहले थी अर्थात 03.10.2023, इसलिए उसमें अपीलार्थी को कोई राहत नहीं दी गई थी। राम किशोर अरोड़ा (ऊपर) के फैसले में, यह देखा गया कि 03.10.2023 के बाद, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उसे सूचित या जागरूक किया जाता है तो दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

399

अन्य (विकास बहल, जे.)

गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के आधारों के बारे में मौखिक रूप से और गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के आधारों के बारे में लिखित संचार प्रस्तुत किया जाता है, तो गिरफ्तारी के समय तुरंत गिरफ्तारी के लिखित आधार दिए जाने के बजाय यह पर्याप्त होगा। इसके अलावा, राम किशोर अरोड़ा (ऊपर) के उपरोक्त मामले में, विजय मदनलाल चौधरी (ऊपर) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दोहराया गया। विजय मदनलाल चौधरी (उपरोक्त) के उक्त फैसले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 के अधिनियम के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए कहा था कि धारा 19 में अधिकृत अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले अंतर्निहित सुरक्षा उपायों का प्रावधान है, जिसमें इस विश्वास के लिए कारण दर्ज करना शामिल है कि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है और उसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना है और ऐसी गिरफ्तारी के आधार को आरोपी व्यक्ति को सूचित किया जाना है और संबंधित अधिकारी जिसने व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, उसे आदेश की प्रति अपने कब्जे में मौजूद सामग्री के साथ एक सीलबंद लिफाफे में भेजना होगा। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण। उक्त निर्णय के पैरा 322 का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

322. 2002 के अधिनियम की धारा 19 में कहा गया है कि धन शोधन में शामिल व्यक्ति की गिरफ्तारी किस तरह की जा सकती है। धारा 19 की उप-धारा (1) में यह परिकल्पना की गई है कि निदेशक, उप-निदेशक, सहायक निदेशक या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण देने वाली सामग्री है कि कोई व्यक्ति 2002 के अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है, तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। उच्च पदस्थ अधिकारियों में निवेश की जा रही शक्तियों के अलावा, धारा 19 में अधिकृत अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले अंतर्निहित सुरक्षा उपायों का प्रावधान है, जैसे कि धन शोधन के अपराध में व्यक्ति की संलिप्तता के बारे में विश्वास के कारणों को दर्ज करना। इसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय, इस तरह की गिरफ्तारी के आधार को उस व्यक्ति को सूचित किया जाता है। इसके अलावा, अधिकृत अधिकारी को अपने कब्जे में सामग्री के साथ आदेश की एक प्रति सीलबंद लिफाफे में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेजनी होती है, जो बदले में नियमों के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए इसे संरक्षित करने के लिए बाध्य होता है। यह सुरक्षा निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए है, 400

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

धनशोधन के अपराध में शामिल व्यक्ति को गिरफ्तार करने की आवश्यकता के बारे में लिखित रूप में दर्ज राय बनाने में अधिकृत अधिकारी की निष्पक्षता और जवाबदेही। इतना ही नहीं, यह भी इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को चौबीस घंटे के भीतर विशेष न्यायालय या न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, के समक्ष पेश करने का अधिकृत अधिकारी का दायित्व। यह प्रस्तुति 1973 की संहिता की धारा 167 की आवश्यकता का पालन करने के लिए भी है। धारा 19 में कुछ भी नहीं है, जो 1973 की संहिता की धारा 167 के तहत पेश करने की आवश्यकता के विपरीत है, लेकिन धारा 19 (3) के संदर्भ में 2002 के अधिनियम के तहत एक स्पष्ट वैधानिक आवश्यकता होने के कारण, इसका अनुपालन अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाना है। ”

(37) यह न्यायालय अब इस बात पर विचार करेगा कि क्या विशेष न्यायालय ने वर्तमान मामले में कानून के अनुसार और उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित धारा 19 और कानून के प्रावधानों के अनुसार रिमांड का आदेश पारित किया है। (38) याचिकाकर्ता-दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू के मामले में पारित आदेश का प्रासंगिक हिस्सा नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

“18. मैंने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और उपरोक्त तर्कों पर उचित विचार किया है। रिमांड के कागजात और अन्य संबंधित दस्तावेजों का भी सावधानीपूर्वक अध्ययन किया गया है। 19. अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि वर्तमान मामले में इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि अनुसूचित अपराध के लिए दो पुलिस थानों में नौ प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं-दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

401

अन्य (विकास बहल, जे.)

मेरी राय में, अभियुक्त की हिरासत में पूछताछ के लिए आवेदक/प्रवर्तन निदेशालय के लिए एक वैध आधार मौजूद है। मेरी सुविचारित राय में, एक बार ईसीआईआर दर्ज हो जाने के बाद और जाँच के दौरान, 402

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

25. इस स्तर पर, अभियुक्त के वकील द्वारा रिमांड अवधि के दौरान अभियुक्त के साथ बातचीत करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया गया है। उपरोक्त के अलावा अभियुक्त के विद्वान वकील ने चिकित्सा अधिकारी की सलाह के अनुसार दवाओं और अन्य सुविधाओं की सुविधा प्रदान करने का भी अनुरोध किया है। 22. उपर्युक्त आवेदन को ध्यान में रखते हुए, यह आदेश दिया जाता है कि जाँच अधिकारी अभियुक्त को हर तारीख को, अभिरक्षा अवधि के दौरान, प्रतिदिन एक घंटे के लिए, यानी 09 से, अपने वकील से मिलने की अनुमति देगाः 00 ए. एम. से 10: 00 ए. एम. यह भी निर्देश दिया जाता है कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित/सलाह के अनुसार सभी सुविधाएं, जिनमें दवाएं और उपकरण शामिल हैं, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रदान की जाएंगी।

दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

403

अन्य (विकास बहल, जे.)

23. कागजातों को 16.1.2024 पर रखा जाना चाहिए। ”

याचिकाकर्ता-कुलविंदर सिंह के मामले में इसी तरह का आदेश 09.01.2024 पारित किया गया है। उपरोक्त और पूरे आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि इस पहलू पर एक पारित संदर्भ भी बहुत कम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि अदालत ने खुद को संतुष्ट किया था कि आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी के तुरंत बाद संबंधित अधिकारी ने आदेश की प्रति को अपने कब्जे में सामग्री के साथ एक सीलबंद लिफाफे में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेज दिया था जैसा कि निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, धारा 19 (2) के अनुपालन पर ध्यान नहीं दिया गया है और यह दूर से भी नहीं देखा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय के संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त अनिवार्य प्रावधान का पालन किया गया है। यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि याचिकाकर्ता-दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू के मामले में प्रतिवादी संख्या 2 (पैरा (ई) (3) (डी)) की ओर से दायर किए गए दिनांक 29.01.2024 के अतिरिक्त जवाब के अनुसार, यह प्रतिवादी अधिकारियों का स्वीकृत मामला है कि दिनांक 09.01.2024 के आदेश के पारित होने की तारीख पर, धारा 19 (2) के प्रावधान का अनुपालन प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा पूरा नहीं किया गया था। वर्तमान मामले में अन्य मुद्दों से निपटने के दौरान बाद के पैराग्राफ में इसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसी तरह, धारा 19 (3) के प्रावधानों के संबंध में भी, यह तथ्य दर्ज नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता को अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था और इस मामले में संबंधित न्यायालय का अधिकार क्षेत्र था। यह ध्यान देने योग्य होगा कि विवादित आदेश में यह दर्ज किया गया है कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति यमुना नगर का निवासी है और अनुसूचित अपराधों के संबंध में बताई गई आठ प्राथमिकियां यमुना नगर जिले में दर्ज की गई थीं। आवेदन में किसी भी कथन या किसी भी सामग्री के संबंध में कोई संदर्भ नहीं दिया गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि गुरुग्राम में अदालत के अधिकार क्षेत्र के भीतर धन शोधन का अपराध किया गया था। धारा 19 (3) में, "अधिकारिता रखने वाला" शब्द का उपयोग आई. डी. 1 की धारा 167 (2) के विपरीत किया गया है, जहां यह कहा गया है कि जिस मजिस्ट्रेट को आरोपी व्यक्ति को भेजा जाना है, वह समय-समय पर आरोपी की नजरबंदी को अधिकृत कर सकता है, चाहे उसके पास मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र हो या न हो। यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि गुरुग्राम की अदालत के पास मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा या नहीं, यह अंतिम प्रश्न प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली पूरी सामग्री पर निर्भर करेगा और भले ही अपराध की आय का एक हिस्सा गुरुग्राम की अदालत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थान से बरामद किया जाता है, फिर अभियोजन पक्ष की याचिका इस आशय की होगी कि अदालत 404

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(39) महत्वपूर्ण रूप से, विशेष न्यायालय ने भी धारा 19 (1) के प्राधिकरण द्वारा उचित अनुपालन के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है। रिमांड के आदेश में यह कहने का कोई संदर्भ नहीं है कि अदालत ने आदेश, यदि कोई हो, का अवलोकन किया था, यह विश्वास करने का कारण दर्ज किया था कि याचिकाकर्ता 2002 के अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध या लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार के दोषी हैं और खुद को संतुष्ट किया था कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के पास अपने कब्जे में सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण था कि याचिकाकर्ता अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के दोषी थे। विवादित क्रम में ऐसा कोई तथ्य दर्ज नहीं किया गया है। उक्त पहलू पर, विवादित आदेश में केवल यह देखा गया है कि एक बार ईसीआईआर दर्ज हो जाने के बाद और जांच के दौरान, 2002 के अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला पाया गया है, तो प्रवर्तन निदेशालय उस धन का पता लगाने के लिए बाध्य है जिसके लिए उसे हिरासत में याचिकाकर्ताओं से पूछताछ करने की आवश्यकता है। अतः उक्त आदेश अवैध है और केवल उक्त आधार पर ही अलग रखा जाना चाहिए। (40) यहां तक कि दोनों याचिकाकर्ताओं के मामले में पारित रिमांड के बाद के आदेश, जो कि दोनों याचिकाकर्ताओं के मामले में पारित एक सामान्य आदेश था, में भी धारा 19 (1) और 19 (2) के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में कोई संदर्भ नहीं दिया गया है। धारा 19 (3) के अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष दिए गए हैंः -

“13. चूंकि तत्काल मामले में जांच प्रारंभिक चरण में है और तथ्य अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं, मेरी राय में, इस स्तर पर यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि क्या अपराध का कोई हिस्सा अभियुक्त द्वारा इस विशेष न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किया गया है या नहीं। मेरी राय में इस तरह के प्रश्न का निर्धारण शिकायत पर संज्ञान लेने के समय ही किया जा सकता है, यदि निदेशालय ऑफ दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

405

अन्य (विकास बहल, जे.)

प्रवर्तन। ”

(II) पी. एम. एल. ए. की धारा 167 CR.P.C के साथ पढ़ी गई धारा 19 के स्वयं और समान उल्लंघनों के लिए 04.01.2024 से 08.01.2024 पर आने वाले याचिकाकर्ताओं का अवैध विवरण/गलत ठहराव। 24 घंटे के भीतर याचिकाकर्ताओं के गैर-उत्पादन के खाते पर (42) यह दोनों याचिकाकर्ताओं का मामला है कि याचिकाकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों को 406 की तलाशी और जब्ती के समय 04.01.2024 पर ही प्रतिवादियों द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

घरों को शुरू किया गया था और अवैध रूप से 04.01.2024 से 08.01.2024 तक हिरासत में लिया गया था और अवैध रूप से केवल 08.01.2024 पर गिरफ्तार किया गया था। दोनों याचिकाकर्ताओं के मामले में पंचनामे का संदर्भ दिया गया है। याचिकाकर्ता-कुलविंदर सिंह के पंचनामे का प्रासंगिक हिस्सा नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

“परिसर में मौजूद सभी लोगों को उचित आराम, भोजन विराम और शौचालय विराम की अनुमति दी गई थी। ”

पंचनामे में उपरोक्त कथन का अवलोकन याचिकाकर्ताओं के मामले का समर्थन करता है कि उन्हें उनकी तलाशी के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी और उन्हें हिरासत में लिया गया था और उनकी आवाजाही को अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया गया था और यह अधिकारी ही थे जिन्होंने उन्हें आराम करने, भोजन विराम और शौचालय अवकाश लेने की अनुमति दी थी। याचिकाकर्ता दिलबाग सिंह उर्फ दिलबाग संधू के पंचनामे में भी यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता राजिंदर सिंह और उनके परिवार के सदस्यों को तलाशी के दौरान उचित आराम और भोजन दिया गया था। याचिकाकर्ता-दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू के मामले में प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से दिनांकित 22.01.2024 का जवाब दायर किया गया था। उक्त उत्तर के पैराग्राफ 29 (एच) और 35 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

सामान्य प्रथा और इसे निरोध नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में धारा 17 पी. एम. एल. ए. जो तलाशी और जब्ती से संबंधित है, कुछ आवश्यकताओं को अनिवार्य करती है जो सभी विधिवत थीं। अनुपालन किया। तलाशी और जब्ती की पवित्रता सुनिश्चित करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, धारा 73 पीएमएलए के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने "धन की रोकथाम-दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत और भारत का संघ" तैयार किया है।

407

अन्य (विकास बहल, जे.)

लॉन्ड्रिंग (प्रपत्र, खोज और जब्ती या फ्रीजिंग और कारणों और सामग्री को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को अग्रेषित करने का तरीका, अभिलेखों को जब्त और अभिरक्षा और प्रतिधारण की अवधि) नियम 2005 ", जिनका उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा भी ईमानदारी से पालन किया गया था।

याचिकाकर्ता-कुलविंदर सिंह के मामले में दायर जवाब भी इसी तरह का है। याचिकाकर्ता-कुलविंदर सिंह के मामले में दायर जवाब का पैरा 36 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा भी ईमानदारी से पालन किया गया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता और परिसर में मौजूद अन्य व्यक्तियों के पास लॉकर, सेफ, अलमीरा, दस्तावेज आदि थे और इसलिए यह महत्वपूर्ण था कि परिसर के भीतर उनकी उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए

सामग्री का निरीक्षण करने/जांच करने और अपराध की संभावित आय के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ से बचने के लिए उक्त उत्तर के अवलोकन से पता चलेगा कि यह प्रतिवादियों का रुख है कि याचिकाकर्ता अपने आवास में जाने के लिए स्वतंत्र थे और वे अपने परिसर में घूम सकते थे (गलत तरीके से उल्लिखित और विशिष्ट प्रश्न प्रत्यर्थी के वकील के सामने रखा गया था और यह उचित रूप से कहा गया है कि "के साथ" शब्द को अंदर के रूप में पढ़ा जाना है और उक्त तथ्य याचिकाकर्ता-कुलविंदर सिंह के मामले में दायर उत्तर से भी स्पष्ट है जहां "के भीतर" शब्द का उल्लेख किया गया है)। इसके अलावा इसमें 408 हैं।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

यह माना गया कि खोज की पवित्रता को बनाए रखा जाना था और इस संबंध में 2005 के नियम (II) का संदर्भ दिया गया था। यहां तक कि उपरोक्त उत्तर का अवलोकन भी याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाई गई याचिका को इस प्रभाव के लिए विश्वास दिलाता है कि उन्हें अपने घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और उन्हें 04.01.2024 से 08.01.2024 तक तलाशी की अवधि के लिए घर में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था। याचिकाकर्ता-दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू के मामले में प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से दिनांकित 29.01.2024 का एक अतिरिक्त जवाब दायर किया गया था। उक्त उत्तर के पैरा एफ के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

आदि और इसलिए सामग्री का निरीक्षण/जांच करने और अपराध की संभावित आय के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ से बचने के लिए परिसर के भीतर उनकी उपस्थिति को सुरक्षित करना महत्वपूर्ण था। साथ ही, उन्हें अपनी दिनचर्या का पालन करने की अनुमति दी गई थी। नहीं में। जिन परिस्थितियों में उन्हें हिरासत में लिया गया था या अनिवार्य रूप से परिसर में रहने के लिए कहा गया था।

(43) उपरोक्त अभिकथनों से, याचिकाकर्ताओं की ओर से इस आशय की दलीलें कि याचिकाकर्ताओं को उनकी सहमति के विरुद्ध प्रश्नगत परिसर में हिरासत में लिया गया था, पूरी तरह से मजबूत है क्योंकि उपरोक्त उत्तर में कहा गया है कि लॉकर, सुरक्षित, अलमीरा, दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए परिसर के भीतर याचिकाकर्ताओं की उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए ऐसा किया गया था, प्रत्यर्थी संख्या 2 के वकील द्वारा 2005 के नियम (II) के नियम 3 उप-नियम 7 और 8 के प्रावधानों पर, बहस के दौरान भी, यह तर्क देने के लिए कि याचिकाकर्ताओं और परिवार के अन्य सदस्यों को परिसर के भीतर आवश्यक था ताकि वे प्रभावी तलाशी ले सकें क्योंकि लॉकर, सुरक्षित, अलमारी सहित कई चीजें खोलनी पड़ीं। नियम 3 के उप-नियम 7 और 8 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

- दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

409

अन्य (विकास बहल, जे.)

जहां इसकी चाबियाँ उपलब्ध नहीं हैं या जहां ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी आवश्यकता का पालन करने में विफल रहता है, तो वह ऐसे डिब्बे, लॉकर, सेफ, अलमारी या अन्य पात्र का ताला तोड़ सकता है जिसे प्राधिकरण इस संबंध में निदेशक द्वारा निर्दिष्ट सभी या किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे। (8) इमारत, स्थान, पोत, वाहन या विमान की तलाशी लेने वाले को, जिसमें ऐसे पोत, वाहन या विमान का प्रभारी व्यक्ति या उसकी ओर से कोई व्यक्ति शामिल है, तलाशी के दौरान उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।

(44) यह मुद्दा कि क्या प्रत्यर्थी संख्या 2 के मामले के अनुसार उक्त तलाशी के उद्देश्य से याचिकाकर्ताओं को हिरासत में लेना वैध था या नहीं और क्या याचिकाकर्ताओं को चार दिनों से अधिक समय तक घर से बाहर जाने से रोका जा सकता था, ताकि अधिकारियों को लॉकर, सुरक्षित, अलमारी तक पहुंच हो सके, उप-नियम 7 और 8 के वास्तविक महत्व और उक्त पहलू पर कानून पर विचार करने के बाद विचार किया जाएगा। (45) उप-नियम 8 के अवलोकन से पता चलेगा कि भवन के रहने वाले या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को तलाशी में भाग लेने का अधिकार है। उक्त प्रावधान को पढ़ने से पता चलेगा कि तलाशी में भाग लेना उस व्यक्ति का एक सक्षम अधिकार है जो इमारत आदि में रहने वाला है और एक बार जब उक्त निवासी यानी वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं ने अधिकारियों से अनुरोध किया कि उन्हें तलाशी में भाग लेने की अनुमति दी जाए, तो अधिकारी उन्हें तलाशी में भाग लेने की अनुमति देने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। उक्त प्रावधान को पढ़ने से पता चलेगा कि इमारत के रहने वाले को तलाशी में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, जब तक कि तलाशी समाप्त नहीं हो जाती, तब तक उसे परिसर में कई दिनों तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। यदि प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से इस आशय का तर्क दिया जाता है कि जब तलाशी चल रही होगी तो याचिकाकर्ताओं को हर समय परिसर में मौजूद रहना होगा, तो रहने वाले या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को तलाशी में भाग लेने का कोई अधिकार देने का सवाल ही नहीं उठेगा क्योंकि तब उसके लिए पूरे तलाशी के दौरान परिसर में उपलब्ध होना आवश्यक होगा। यहाँ तक कि उप-नियम 7 410

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

प्रतिवादी संख्या 2 के मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा क्योंकि उक्त उप-नियम में यह प्रावधान है कि यदि चाबियाँ उपलब्ध नहीं हैं या जिस व्यक्ति को लॉकर/बॉक्स खोलने का निर्देश या अनुरोध किया गया है, वह उसका पालन करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण को उक्त लॉकर, सुरक्षित, अलमारी का ताला तोड़ने की शक्ति है और इस प्रकार, अधिकारियों के निर्देश का पालन न करने की स्थिति में भी, खोज में कोई बाधा नहीं आती है। उपरोक्त प्रावधानों के संयुक्त अध्ययन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन व्यक्तियों को उनकी दैनिक दिनचर्या को पूरा करने से रोकता है जिनके परिसरों की तलाशी ली जा रही है, जिसमें उनके कार्यालयों/कार्यस्थल पर जाना भी शामिल है और अधिकारियों को उक्त व्यक्तियों से कोई भी ताला, सुरक्षित, अलमारी खोलने की मांग करने का अधिकार है और इसका पालन न करने की स्थिति में, अधिकारियों के पास इसे तोड़ने की और अधिक शक्ति है और इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिकारियों को उक्त व्यक्तियों यानी परिसर के भीतर वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं की आवाजाही को रोकने का अधिकार है। (46) महत्वपूर्ण रूप से, दोनों याचिकाकर्ताओं के मामले में पंचनामे के अवलोकन से पता चलेगा कि यह केवल 04.01.2024 पर है कि अलमारी, अलमारी, दराज आदि की तलाशी ली गई थी और 05.01.2024,06.01.2024,07.01.2024 और 08.01.2024 पर ऐसी कोई खोज नहीं की गई थी और इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 2 के तर्क को स्वीकार किए जाने की स्थिति में भी यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं को 04.01.2024 से 08.01.2024 तक सभी दिनों के लिए कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया था। याचिकाकर्ता-दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू के पंचनामे (अनुलग्नक पी-1) में यह उल्लेख किया गया है कि तलाशी 8 बजे शुरू हुई थीः 25 आई. डी. 2 पर घंटे और यह आई. डी. 1 पर 13 घंटे (दोपहर 1 बजे) तक जारी रहा और आई. डी. 2 पर 8:40 बजे वास्तविक तलाशी शुरू हुई, जिस दिन अलमारी, अलमारी, दराज, बिस्तर के डिब्बों और घर के अन्य हिस्सों में दस्तावेजों की तलाशी ली गई और घर के अंदर खड़े वाहन की भी तलाशी ली गई। पंचनामे के आगे के अवलोकन से पता चलता है कि किसी भी बॉक्स, लॉकर, सेफ, अलमीरा आदि की किसी भी खोज के संबंध में कोई संदर्भ नहीं दिया गया है जैसा कि उप-नियम 7 में 05.01.2024 से 08.01.2024 में उल्लेख किया गया है। इसी तरह, पंचनामे के अनुसार, याचिकाकर्ता-कुलविंदर सिंह के मामले में, उक्त कुलविंदर सिंह को 11 बजे परिसर में बुलाया गया थाः 50 मैं <ID2 पर हूँ और उक्त तिथि पर, चूंकि एक कमरे की चाबी उपलब्ध नहीं थी और वह नहीं मिली, इसलिए ताला तोड़ने के लिए एक ताला बनाने वाले को बुलाया गया और उक्त ताला <ID2 पर 12.30 बजे खोला गया और गोदरेज की तिजोरी का एक और ताला भी 04.20 बजे एक ताला बनाने वाले को फोन करके तोड़ा गया। इसके अलावा, किसी भी अलमीरा, सेफ, लॉकर, ताले आदि की आगे की खोज का कोई उल्लेख नहीं है जो अधिकारियों द्वारा 05.01.2024 से 08.01.2024 तक करने की आवश्यकता थी।

दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

411

अन्य (विकास बहल, जे.)

(47) यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि 2002 के अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार, यदि प्रत्यर्थी अधिकारियों के पास यह विश्वास करने का कारण है जो लिखित रूप में दर्ज किया जाना है कि किसी व्यक्ति ने अपने व्यक्ति के बारे में या अपने कब्जे, स्वामित्व या नियंत्रण में किसी भी चीज़ में, अपराध का कोई रिकॉर्ड या आय जो अधिनियम के तहत कार्यवाही के उद्देश्य के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकती है, तो उक्त व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है और उक्त संपत्ति/रिकॉर्ड को जब्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भी, इस तरह से तलाशी लेने वाले व्यक्ति को, यदि वह ऐसा चाहता है, 24 घंटे के भीतर निकटतम राजपत्रित अधिकारी के पास ले जाना आवश्यक है, जो तलाशी लेने वाले अधिकारी या मजिस्ट्रेट से उच्च पद पर है और उप-धारा 4 के अनुसार, प्राधिकरण उक्त व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी या संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने से पहले 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रख सकता है और उप-धारा 5 के अनुसार, राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट जिसके सामने ऐसे किसी व्यक्ति को लाया जाता है, अगर उसे तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं दिखता है, तो वह तुरंत ऐसे व्यक्ति को आरोपमुक्त कर देगा। इस प्रकार, व्यक्तिगत तलाशी लेने के मामले में भी, विशिष्ट समय दिया गया है जिसके भीतर व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाना है और जिस अवधि के लिए व्यक्ति को प्राधिकरण द्वारा हिरासत में लिया जा सकता है, वह 24 घंटे से अधिक नहीं हो सकता है। वर्तमान मामले में, यह उत्तर में प्रत्यर्थियों का स्वीकृत मामला है कि उन्होंने 2002 के अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों को लागू नहीं किया है और इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं को परिसर के भीतर चार दिनों से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखना/रोकना अवैध निरोध/गैरकानूनी प्रतिबंध के बराबर होगा और याचिकाकर्ताओं को 04.01.2024 पर गिरफ्तार किया गया माना जाएगा। (48) उक्त बिंदु पर कानून का उल्लेख करने से पहले, यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि दिनांक 2 के अतिरिक्त जवाब में इस आशय की याचिका दायर की गई है कि याचिकाकर्ता अपनी वसीयत से परिसर में थे, जो दिनांक 1 के पहले के जवाब में ली गई दलीलों के विपरीत है जिसमें यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता और अन्य व्यक्ति तलाशी की अवधि के दौरान अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से घूम सकते थे क्योंकि सामान्य व्यवहार ("के साथ" शब्द गलत तरीके से लिखा गया है और उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने उचित रूप से प्रस्तुत किया है कि शब्द "के साथ" था। "अंदर" के रूप में पढ़ा जाए)। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने दिनांक 2 के अतिरिक्त उत्तर में उक्त याचिका को लेने पर कड़ी आपत्ति जताई थी क्योंकि न तो दिनांक 1 के लिखित बयान में ऐसी कोई याचिका उठाई गई थी और न ही पहले के लिखित बयान में कोई संशोधन मांगा गया था और यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी दलीलें खोलने के बाद उक्त याचिका दिनांक 2 के अतिरिक्त जवाब में उठाई गई है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 412

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

दिनांकित 22.01.2024 के पहले उत्तर में कहा गया है कि यह दर्शाता है कि उत्तरदाताओं ने बाद में अपने मामले में सुधार करने की कोशिश की है और इस प्रकार, उक्त याचिका खारिज होने योग्य है। (49) प्रणव गुप्ता (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए कि क्या याचिकाकर्ताओं पर लगाया गया प्रतिबंध वास्तविक गिरफ्तारी की तारीख यानी वास्तविक गिरफ्तारी की तारीख से पहले की तारीख को वास्तविक गिरफ्तारी के समान है, यह टिप्पणी की कि गिरफ्तारी गैरकानूनी रोक की तारीख से मानी जाएगी, न कि औपचारिक और वास्तविक गिरफ्तारी की तारीख से और प्रतिवादियों की ओर से इस आशय का तर्क कि इसमें आरोपी को केवल समन जारी किए जाने के अनुसरण में वाहन में ले जाया गया था, खारिज कर दिया गया था। क्योंकि यह पाया गया कि उसमें आरोपी को ईडी की जब्त की गई कार/कार में ले जाया गया था जिसे स्वैच्छिक नहीं कहा जा सकता था। उक्त निर्णय में, उपरोक्त खाते पर, याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी और अमान्य घोषित किया गया था। उक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

“9. उक्त तर्कों के अध्ययन किए गए विश्लेषण पर, ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित विद्वान ए. एस. जी. ने स्पष्ट रूप से गिरफ्तारी और अभिरक्षा के बीच एक अर्थपूर्ण अंतर बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, इस प्रकार निर्णयों (ऊपर) पर भरोसा करने के माध्यम से। 10. इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ में अभियुक्तों के साथ जाने का उपरोक्त तरीका और

413

अन्य (विकास बहल, जे.)

15. उपरोक्त तर्क को अस्वीकार करने के कारण, लेकिन फिर से इस स्पष्ट तथ्य पर आधारित हैं कि जब तक कि आरोपी स्वेच्छा से संबंधित ई. डी. अधिकारियों के साथ अपने निजी वाहनों या अपने रिश्तेदारों के वाहन में नहीं थे, तब तक उनका उपरोक्त तरीके से ई. डी. अधिकारियों के साथ ई. डी. मुख्यालय तक जाना, दिल्ली में स्थित, तब उनका माना जाएगा, इस प्रकार गैरकानूनी रूप से प्रतिबंधित हो जाएगा। हालांकि, जब उपरोक्त संबंध में सामग्री पूरी तरह से गलत होती है, तो सामग्री सामने आती है, कि आरोपी के साथ, ई. डी. अधिकारी, <आई. डी. 1 पर, इस प्रकार क्रमशः जब्त किए गए वाहन में या ई. डी. अधिकारियों से संबंधित वाहनों में। इसलिए, ई. डी. अधिकारियों के साथ अभियुक्तों के उक्त तरीके को, इस प्रकार, ई. डी. मुख्यालय तक स्वेच्छा से या स्वेच्छा से उनके साथ जाने के रूप में नहीं माना जा सकता है, और न ही इस प्रकार 414 के साथ जाने के तरीके के रूप में।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

17. हालांकि, संबंधित ए. एस. जी. ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि चूंकि संबंधित मजिस्ट्रेट ने आरोपी के खिलाफ रिमांड के आदेश दिए हैं, इसलिए रिमांड के उक्त आदेश उपरोक्त खामियों को माफ करने के लिए माने जा सकते हैं। 18. हालाँकि, उपरोक्त तर्क, इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है, 2023 में एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 934 में रिपोर्ट किए गए "वी. सेंथिल बालाजी बनाम राज्य प्रतिनिधि उप निदेशक और अन्य" शीर्षक वाले मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए जनादेश को देखते हुए, जिसमें यह खुलासा किया गया है कि जब सामग्री सामने आती है, तो यह सुझाव देता है कि संबंधित विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा न्यायिक दिमाग के अनुप्रयोग से संबंधित मानदंड, प्रासंगिक वैधानिक उल्लंघनों के निर्माण के लिए, लेकिन उल्लंघन हो जाते हैं, इस प्रकार उनके रिमांड के विवादित आदेश को बनाने में, इस प्रकार, 2002 के अधिनियम की धारा 19 के अधिदेश का उल्लंघन होने पर, इस प्रकार मन के गैर-अनुप्रयोग का दोष उभरता है, जिससे रिमांड के आदेश अवैध हैं। ”

(50) अशक हुसैन अल्लाह देथा @सिद्दीकी के मामले में

((उपरोक्त), यह देखा गया कि वस्तुतः गिरफ्तारी कानूनी अधिकार की शक्ति या रंग द्वारा किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध था और यह किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध या वंचित करने के बराबर भी है और यदि गिरफ्तारी की शक्ति से लैस प्राधिकरण वास्तव में शारीरिक कार्य या शब्दों द्वारा प्रतिबंध लगाता है, तो यह गिरफ्तारी के बराबर होगा और यह सवाल कि क्या व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि क्या उसे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया गया है, चाहे वह लेबल कुछ भी हो, जिसे जांच अधिकारी प्रतिबंध के कार्य पर चिपका सकता है। और गिरफ्तारी की वास्तविक तारीख भी यह देखने के लिए एक सूचकांक नहीं होगी कि गिरफ्तारी की वास्तविक तारीख क्या है और गिरफ्तारी तब शुरू होगी जब दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

415

अन्य (विकास बहल, जे.)

अभियुक्त की स्वतंत्रता पर रखा गया था न कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा दर्ज गिरफ्तारी के समय पर। उक्त निर्णय के पैरा 9,10,12,13 के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

संस्करण पृष्ठ 113। ). वास्तव में, "गिरफ्तारी" कानूनी अधिकार की शक्ति या रंग द्वारा किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। अपने स्वाभाविक अर्थों में भी "गिरफ्तारी" का अर्थ है किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना या उससे वंचित करना। 10. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गिरफ्तारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध होने के कारण, यह तब पूरा होता है जब किसी प्राधिकरण द्वारा इस तरह का प्रतिबंध शुरू होता है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या नहीं, यह अधिनियम की वैधता पर निर्भर नहीं करता है। यह पर्याप्त है यदि गिरफ्तार करने की शक्ति से लैस एक प्राधिकरण वास्तव में शारीरिक कार्य या शब्दों द्वारा संयम लागू करता है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या उसे अपनी इच्छानुसार जाने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया गया है। इसलिए, यह तर्कपूर्ण है कि जांच अधिकारी अपने संयम के कार्य पर क्या लेबल लगाता है, यह अप्रासंगिक है। इसी कारण से, गिरफ्तारी के समय का रिकॉर्ड गिरफ्तारी के वास्तविक समय का सूचकांक नहीं है। गिरफ्तारी अभियुक्त की स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंध के साथ शुरू होती है न कि गिरफ्तारी अधिकारियों द्वारा दर्ज "गिरफ्तारी" के समय के साथ।

416

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

12. XXX XXX। जाँच अधिकारी के पास पूछताछ या जाँच में उनकी मदद करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का कोई अधिकार नहीं है। 13. इस सिद्धांत पर यह कहा गया है कि 19 जुलाई, 1989 की आधी रात को आवेदकों को हिरासत में लेना अवैध था, यदि यह N.D.P.S अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए नहीं था। यदि यह कोई अपराध करने के लिए था, तो हिरासत "गिरफ्तारी" थी और यह 19 जुलाई, 1989 की आधी रात को शुरू हुई। ”

(51) श्रीमती इकबाल कौर क्वात्रा (ऊपर) के मामले में,

हैदराबाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः -

23. इस प्रकार यह देखा गया है कि एक पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए बिना हिरासत में नहीं रख सकता है और ऐसी कोई भी हिरासत भारतीय दंड संहिता की धारा 340 के अर्थ के भीतर गलत कारावास के बराबर होगी। वास्तविक गिरफ्तारी और हिरासत की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। हिरासत में रखे गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना इस रंग बिरंगे बहाने के तहत हिरासत में नहीं लिया जा सकता है कि कोई वास्तविक गिरफ्तारी नहीं की गई है और उचित आधार साबित करने का बोझ गिरफ्तारीकर्ता पर है कि यात्रा में कितना समय लगा था। पार की गई दूरी के साथ-साथ अन्य परिस्थितियों के संदर्भ में और चौबीस घंटे तक नजरबंदी जारी रखने के मामले में, विशेष रूप से जब पुलिस अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि जांच चौबीस घंटे के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है, तो उसे आरोपी को तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए और चौबीस घंटे तक इंतजार नहीं कर सकता है। ”

(52) उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों और उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी अधिकारियों ने अवैध रूप से दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ को सीमित/गैरकानूनी रूप से प्रतिबंधित किया था।

417

अन्य (विकास बहल, जे.)

04.01.2024 से 08.01.2024 तक के परिसरों में याचिकाकर्ताओं ने वास्तव में याचिकाकर्ताओं को 04.01.2024 पर ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं को उनकी वास्तविक गिरफ्तारी की तारीख से 24 घंटे के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष पेश नहीं किया था, यानी 04.01.2024 और न ही धारा 19 (1), 19 (2), 19 (3) में उल्लिखित अन्य शर्तों का पालन किया था और इस प्रकार, गिरफ्तारी और रिमांड आदेशों सहित बाद के सभी आदेश अवैध हैं और कानून के खिलाफ हैं और खारिज किए जाने के योग्य हैं। वर्तमान बिंदु पर चर्चा समाप्त करने से पहले, इस मुद्दे पर प्रतिवादी संख्या 2 के वकील द्वारा निर्दिष्ट निर्णयों पर विचार करना प्रासंगिक होगा। गौतम थापर (उपरोक्त) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ का निर्णय, जिस पर प्रत्यर्थियों के वकील ने भरोसा किया था, प्रत्यर्थियों के मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। उक्त मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से पूरी तरह से अलग थे क्योंकि उक्त मामला ऐसा मामला नहीं था जहां चार दिनों से अधिक की अवधि के लिए गैरकानूनी रूप से रोक/अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था और न ही उत्तर में प्रतिवादी अधिकारियों का कोई दावा था जैसा कि वर्तमान मामले में है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याचिकाकर्ता, वर्तमान मामले में, प्रश्नगत परिसर की चार दीवारों तक सीमित थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया था, जिनके प्रासंगिक हिस्से को यहां ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, दूसरी ओर वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होते हैं। (53) इसी तरह, संदीप कुमार बाफना (उपरोक्त) के मामले में तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से पूरी तरह से अलग हैं। उक्त निर्णय का अनुच्छेद 9 अभिरक्षा का अर्थ देता है जैसा कि विभिन्न शब्दकोशों में कहा गया है। उक्त निर्णय के पैरा 9 और पैरा 10 के प्रासंगिक भाग को यहाँ निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

9.2 कैम्ब्रिज डिक्शनरी (ऑनलाइन) अभिरक्षा को जेल में रखे जाने की स्थिति के रूप में बताती है, विशेष रूप से मुकदमे के लिए अदालत जाने की प्रतीक्षा करते समय। 9.3 लॉन्गमैन डिक्शनरी (ऑनलाइन) अभिरक्षा को परिभाषित करता है जब किसी को अदालत जाने तक जेल में रखा जाता है, क्योंकि 418

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

अभिरक्षा-किसी वस्तु या व्यक्ति की देखभाल और नियंत्रण। किसी वस्तु की रख-रखाव, रख-रखाव, देखभाल, निगरानी, निरीक्षण, संरक्षण या सुरक्षा, इसके साथ यह विचार ले जाना कि वह वस्तु उस व्यक्ति की तत्काल व्यक्तिगत देखभाल और नियंत्रण के भीतर है जिसकी अभिरक्षा के अधीन है। तत्काल प्रभार और नियंत्रण, न कि स्वामित्व का अंतिम, पूर्ण नियंत्रण, हिरासत में चीज़ की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदारी का संकेत देता है। वैध प्रक्रिया या अधिकार के आधार पर किसी व्यक्ति का बंदी भी। यह शब्द बहुत लोचदार है और इसका अर्थ हो सकता है वास्तविक कारावास या शारीरिक निरोध या केवल शक्ति, कानूनी या शारीरिक, दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

419

अन्य (विकास बहल, जे.)

कैद करना या हाथ से कब्जा करना। संघीय बंदी प्रत्यक्षीकरण राहत के हकदार होने के लिए कानून के भीतर उस याचिकाकर्ता को हिरासत में रखने की आवश्यकता का मतलब जेल या जेल में वास्तविक शारीरिक हिरासत नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता के प्रतिबंध का पर्याय है। यू. एस. एक्स रिले। विर्ट्ज़ बनाम शीहान। तदनुसार, परिवीक्षाधीन या स्वयं की पहचान पर रिहा किए गए व्यक्तियों को बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही के उद्देश्यों के लिए हिरासत में रखा गया है। 10. इस प्रकार शब्दकोशों के अवलोकन से पता चलता है कि जो अवधारणा बनाई गई है वह आपराधिक जांच के दौरान किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का नियंत्रण है, या किसी व्यक्ति की कार्रवाई की स्वतंत्रता को पर्याप्त या महत्वपूर्ण तरीके से कम करना है। ” XXX XXX

(III) 2002 के अधिनियम की धारा 19 (2) के प्रावधानों का उल्लंघन (55) 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1), 19 (2) और 19 (3) का अवलोकन, जिसे यहाँ ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, यह दर्शाता है कि कुछ अनिवार्य शर्तें हैं जिन्हें गिरफ्तारी से पहले और तुरंत बाद में पूरा करने की आवश्यकता है, जो यहाँ नीचे दी गई हैंः -

(ii) व्यक्ति के गिरफ्तार होने के बाद, उसे "जितनी जल्दी हो सके" गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाना आवश्यक है। गिरफ्तारी के उक्त आधार पंकज बंसल (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित कानून के अनुसार लिखित रूप में होने चाहिए। राम किशोर अरोड़ा (ऊपर) के मामले में "जितनी जल्दी हो सके" अभिव्यक्ति की व्याख्या गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे तक के लिए की गई है। iii) धारा 19 की उप-धारा 2 में आगे यह प्रावधान है कि उप-धारा (1), 420 के तहत व्यक्ति को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

संबंधित अधिकारी के कब्जे में सामग्री के साथ आदेश की प्रति, जैसा कि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किया गया है, निर्धारित तरीके से सीलबंद लिफाफे में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेजी जानी है। iv) उप-धारा (3) के तहत, इस तरह से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर विशेष अदालत या न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, के पास ले जाना अनिवार्य है। वी. सेंथिल बालाजी (उपर्युक्त) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के सुसंगत भाग में, जिसे इस निर्णय के पूर्व भाग में पुनः प्रस्तुत किया गया है, विशेष रूप से यह अभिनिर्धारित करता है कि उप-धारा (2) का अनुपालन गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी का एक गंभीर कार्य है और वही धारा कोई अपवाद नहीं है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 74 में, यह विशेष रूप से कहा गया है कि मजिस्ट्रेट को 2002 के अधिनियम की धारा 19 के तहत अनिवार्य सुरक्षा उपायों के अनुपालन के बारे में खुद को संतुष्ट करना होगा। इसी प्रकार, पंकज बंसल (उपर्युक्त) के मामले में, जिसके प्रासंगिक भाग को इस निर्णय के पूर्व भाग में पुनः प्रस्तुत किया गया है, यह देखा गया है कि संबंधित न्यायालय को अभियुक्त व्यक्ति को रिमांड पर लेते समय "यह सुनिश्चित करना होगा कि धारा 19 की शर्तें विधिवत संतुष्ट हैं" और यह कि 2002 अधिनियम की धारा 19 के अधिदेश का उचित अनुपालन है। यहां तक कि 2002 के अधिनियम की धारा 45 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारियों को धारा 45 के तहत निहित शर्तों के अलावा धारा 19 के तहत शर्तों को पूरा करने के अधीन बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। विजय मदनलाल चौधरी (उपर्युक्त) का अनुच्छेद 322, जिसे इस निर्णय के पूर्व भाग में भी दोहराया गया है, इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाता है कि धारा 19 में उल्लिखित शर्तें और प्रक्रिया अनिवार्य हैं और इसका कोई भी उल्लंघन गिरफ्तारी और बाद की कार्यवाही को अवैध बना देगा। यह प्रत्यर्थी सं. का स्वीकृत रुख है। 2 कि आई. डी. 1 तक, जब दोनों याचिकाकर्ताओं को विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था और अदालत द्वारा उनकी रिमांड मांगी गई थी और दी गई थी, तो धारा 19 (2) का कोई अनुपालन नहीं किया गया था और यह बाद में ही किया गया था। वर्तमान मामले में, वर्तमान मुद्दे के संबंध में जो प्रश्न उठेगा, वह यह होगा कि धारा 19 (2) में उपयोग किए गए "तत्काल" शब्द का निर्माण किया जाए और यह कि क्या दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

421

अन्य (विकास बहल, जे.)

वही "जितनी जल्दी हो सके" शब्द की तुलना में उच्च स्तर की तात्कालिकता दिखाएगा। राम किशोर अरोड़ा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 19 (1) में निहित "जितनी जल्दी हो सके" अभिव्यक्ति की व्याख्या करते हुए कहा कि उक्त अवधि गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे होगी और इसलिए यह देखा गया कि सुरक्षा के रूप में, संबंधित अधिकारी पर एक कर्तव्य डाला गया है कि वह व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद अपने कब्जे में सामग्री के साथ आदेश की प्रति न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेजे। राम किशोर अरोड़ा के मामले में फैसले के पैराग्राफ 21 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः - “21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पी. एम. एल. ए. की धारा 19 में निहित "जितनी जल्दी हो सके" अभिव्यक्ति का अर्थ इस प्रकार लगाया जाना आवश्यक है-"जितनी जल्दी हो सके, बिना टालने योग्य देरी के" या "यथोचित रूप से सुविधाजनक के भीतर" या "यथोचित रूप से"। आवश्यक "समय की अवधि। चूंकि सुरक्षा के रूप में संबंधित अधिकारी पर एक कर्तव्य डाला गया है कि वह व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद अपने कब्जे में सामग्री के साथ आदेश की एक प्रति न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेजे, और गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को संबंधित अदालत में ले जाए, हमारी राय में, गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने के लिए उचित रूप से सुविधाजनक या यथोचित रूप से आवश्यक समय गिरफ्तारी के चौबीस घंटे होगा।

(56) विजय मदनलाल चौधरी के अनुच्छेद 311 में (ऊपर)

2002 के अधिनियम की धारा 5 (2) और 17 (2) के प्रावधानों पर विचार करते हुए, जिसमें सक्षम अधिकारी को धारा 5 (1) के तहत कुर्की के तुरंत बाद और धारा 17 (1) के तहत तलाशी और जब्ती के बाद, अपने कब्जे में सामग्री के साथ आदेश की एक प्रति न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेजने की भी आवश्यकता होती है, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "समकालीन" शब्द का उपयोग करने के लिए प्रसन्न था और कहा था कि विश्वास करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने की आवश्यकता थी और समकालीन रूप से सीलबंद लिफाफे में कब्जे में सामग्री के साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को अग्रेषित किया गया था। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 311 का प्रासंगिक हिस्सा नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

“311. निस्संदेह, 2002 का अधिनियम एक विशेष स्व-निहित कानून है और धारा 17 एक प्रावधान है, जो विशेष रूप से 422 के संबंध में तलाशी और जब्ती से संबंधित मामलों से संबंधित है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

विश्वास करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है और समकालीन रूप से न्यायनिर्णायक द्वारा संरक्षित किए जाने के लिए एक सीलबंद लिफाफे में अपने कब्जे में सामग्री के साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेजा जाना आवश्यक है। उस संबंध में बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित अवधि के लिए प्राधिकरण। ये 2002 के अधिनियम में प्रदान किए गए अंतर्निहित सुरक्षा उपाय हैं।

(57) "समकालीन" शब्द को न्यू इंटरनेशनल वेबस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज डीलक्स एनसाइक्लोपेडिक एडिशन में निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया गया हैः -

“एक ही समय में रहना या घटित होना "

(58) धारा 19 के प्रावधानों और उपरोक्त उक्त निर्णयों में निर्धारित कानून के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विधायिका ने जानबूझकर धारा 19 (2) में "तुरंत" अभिव्यक्ति का उपयोग करने और धारा 19 (1) में "जितनी जल्दी हो सके" अभिव्यक्ति का उपयोग करने का विकल्प चुना है क्योंकि निर्णय प्राधिकरण को भेजी जाने वाली सामग्री के साथ आदेश पहले से ही गिरफ्तारी करने वाले सक्षम अधिकारी के कब्जे में होगा, क्योंकि उसके कब्जे में उक्त सामग्री के आधार पर गिरफ्तार करने से पहले, उसने लिखित रूप में दर्ज किए जाने पर विश्वास करने के लिए कारण तैयार किया है कि उक्त व्यक्ति दोषी था और सिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

423

अन्य (विकास बहल, जे.)

बालाजी (ऊपर) और पंकज बंसल (ऊपर), और अन्य निर्णय जिन्हें यहाँ ऊपर संदर्भित किया गया है, यह दिखाएंगे कि धारा 19 (2) सहित धारा 19 का अनुपालन अनिवार्य है और इसका पालन न करने के लिए गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को दरकिनार करने की आवश्यकता होगी। (59) वर्तमान मामले में, निश्चित रूप से, धारा 19 (2) का अनुपालन 09.01.2024 तक नहीं किया गया था, और दोनों याचिकाकर्ताओं के रिमांड के आदेश दिनांक 09.01.2024 दूर से यह भी नहीं दर्शाते हैं कि विशेष न्यायालय ने अपने अनुपालन के संबंध में कुछ भी देखा था। 424 भी

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

विशेष न्यायालय द्वारा दोनों याचिकाकर्ताओं की रिमांड बढ़ाने के लिए पारित दिनांक 1 के आदेश में यह भी उल्लेख नहीं है कि धारा 19 (2) का कोई अनुपालन किया गया था। अनुलग्नक आर-11 के रूप में संलग्न दिनांकित 23.01.2024 के आदेश के संबंध में वही स्थिति है जो प्रत्यर्थी सं. 2 सी. आर. एम.-एम.-3385-2024 वीडियो में जिसे याचिकाकर्ताओं को 06.02.2024 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उत्तरदाता नं. 2 दिलबाग सिंह के मामले में अपने अतिरिक्त जवाब में उन घटनाओं की श्रृंखला दी गई है जो उनके मामले के अनुसार तलाशी के समय से लेकर दस्तावेजों की जांच के समय तक हुई थीं। उसी के पैराग्राफ ई [(3) (ए) से (3) (डी)] नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः -

ख) पूरी कार्यवाही के दौरान, जांच अधिकारी लगातार आगे बढ़ रहा था और कई टीमों के साथ समन्वय कर रहा था और अपने कर्तव्यों का पालन भी कर रहा था। द. याचिकाकर्ता को 12 बजे 08.01.2024 पर गिरफ्तार किया गया थाः 15 अपराह्न और अन्य सह-अभियुक्त को उसी दिन दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ में गिरफ्तार किया गया था।

425

अन्य (विकास बहल, जे.)

निर्धारित किए गए आवश्यक दस्तावेजों के साथ तलाशी और गिरफ्तारी के बारे में सूचित करने वाले पत्र भेजे गए थे एल. डी. 10.01.2024 पर प्राधिकरण का निर्णय लेना। हालाँकि, जब तक अधिकारी लगभग 5 बजे कार्यालय पहुँच चुके थेः 30 एल. डी. के प्रधानमंत्री। नई दिल्ली में स्थित न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, प्रेषक ने कार्यालय छोड़ दिया था, इसलिए इस कार्यालय को 426 मिल सकते थे

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

केवल 11.01.2024 (अनुलग्नक-R7) पर प्राप्त करना। ”

उपरोक्त उत्तर के अवलोकन से पता चलेगा कि इसे प्रत्यर्थी नं. 2 कि 09.01.2024 तक धारा 19 (2) का कोई अनुपालन नहीं किया गया था। यह प्रतिवादी सं. का अपना मामला है। 2 कि 100 सी. आर. पी. एफ. कर्मियों के साथ प्रवर्तन निदेशालय के 110 अधिकारी तलाशी अभियान में शामिल थे और फिर भी प्रतिवादी नं। 2 जो सामग्री उन्होंने अपने मामले के अनुसार पहले ही एकत्र कर ली थी, उसे न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को अग्रेषित करने में सक्षम नहीं थे। यदि अतिरिक्त उत्तर में उठाई जाने वाली याचिका स्वीकार कर ली जाती है, तो वही कारण प्रत्यर्थी नं. 2 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी के आधार की आपूर्ति न करने के लिए और 24 घंटे की उक्त अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं को पेश न करने के लिए भी। गिरफ्तारी के आधार तैयार करने में दिमाग का उपयोग शामिल है और यहां तक कि उक्त स्थिति में, राम किशोर अरोड़ा (उपरोक्त) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इसके लिए 24 घंटे का समय दिया जाना चाहिए, जबकि पहले से जब्त की गई सामग्री को आगे भेजना एक मंत्रिस्तरीय अधिनियम है और इसलिए, इसे तुरंत और किसी भी मामले में 24 घंटे के भीतर भेजा जाना चाहिए। उपरोक्त पैराग्राफ के अवलोकन से यह भी पता चलेगा कि उपखंड (डी) में यह कहा गया था कि जब्त की गई सामग्री की प्रारंभिक जांच गिरफ्तारी की तारीख के बाद और रिमांड की तारीख के बाद की गई थी। इसके अलावा, प्रतिवादी के रुख के अनुसार नं। 2 पैरा 3 (ए) और (सी) में याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद भी तलाशी अभियान जारी रहा और यह कि 09.01.2024 पर विशेष न्यायालय ने केवल अधिकारिता के बिंदु के संबंध में सामग्री पर विचार किया था, जबकि दिनांक 09.01.2024 के आदेश में अधिकारिता के उक्त बिंदु के बारे में कोई अवलोकन नहीं किया गया है। नीरज सिंघल (ऊपर) मोरेसो के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले पर रखा गया रिलायंस, प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा उक्त फैसले का पैराग्राफ 60 प्रतिवादी के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 60 के अवलोकन से पता चलेगा कि उक्त मामले में याचिकाकर्ता को 10 बजे 19.06.2023 पर गिरफ्तार किया गया थाः 25 प्रधानमंत्री, जो शुक्रवार की रात थी और उसके बाद शनिवार यानी आई. डी. 2 और रविवार यानी आई. डी. 1 को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का कार्यालय बंद कर दिया गया था और उसके तुरंत बाद, संबंधित सामग्री के साथ गिरफ्तारी आदेश की प्रति आई. डी. 3 पर भेजी गई थी और दिल्ली उच्च न्यायालय को सामान्य खंड अधिनियम 1897 की धारा 10 के प्रावधानों पर विचार करने के बाद, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि जहां किसी न्यायालय या कार्यालय में किसी अधिनियम के उद्देश्य के लिए निर्धारित अवधि अवकाश पर समाप्त हो जाती है, तो उक्त अधिनियम को उस अवधि के भीतर किया गया माना जाना चाहिए, यदि यह किया जाता है। अगली तारीख को जिस दिन न्यायालय/कार्यालय खुलता है और उस दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ के कथित विशिष्ट तथ्यों के आधार पर और

427

अन्य (विकास बहल, जे.)

साथ ही राजस्थान राज्य बनाम दाऊद खान (ऊपर), द्वारा प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील भी प्रत्यर्थी सं. 2. उक्त मामलों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय उन मामलों के संबंध में आई. डी. 1 की धारा 157 के प्रावधानों पर विचार कर रहा था, जहां एफ. आई. आर. आई. पी. सी. के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई थी, न कि 2002 अधिनियम जैसे विशेष अधिनियम के प्रावधानों के तहत। शीओ के मामले में। अपीलार्थी शंकर सिंह (ऊपर) को दोषी ठहराया गया था और उनकी ओर से यह तर्क दिया गया था कि संबंधित मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी की प्रति अग्रेषित करने के लिए किसी भी सबूत का अभाव धारा 157 का उल्लंघन था और इस प्रकार प्राथमिकी का पंजीकरण ही संदिग्ध हो गया था और उक्त तर्क को अस्वीकार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्राथमिकी 13.06.1979 पर दर्ज की गई थी और 14.06.1979 पर अग्रेषित की गई थी और इसके अलावा, उच्च न्यायालय के साथ-साथ निचली अदालत के फैसलों के अवलोकन से पता चला कि कोई पूर्वाग्रह का कोई मामला नहीं दिखाया गया था और न ही उठाया गया था। धारा 157 के कथित उल्लंघन के आधार पर अपीलार्थियों की ओर से यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि धारा 157 आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद आवश्यक रूप से लागू नहीं होती है, जबकि 2002 अधिनियम की धारा 19 (2) का प्रावधान किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद ही लागू होगा और इस प्रकार, धारा 19 के प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार कहा गया है। इसके अलावा, 2002 का अधिनियम एक विशेष अधिनियम है और धारा 45 में निहित जमानत का प्रावधान आई. पी. सी. के तहत अपराधों के लिए जमानत के प्रावधान से अलग है और 2002 के अधिनियम की धारा 45 में बहुत सख्त शर्तें प्रदान की गई हैं और इस प्रकार, 2002 के अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों का अनुपालन जो सक्षम अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सक्षम बनाता है, वह बहुत अधिक होना चाहिए। यह भी ध्यान देने योग्य होगा कि 428 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(61) धारा 19 (1), जिसे निर्णय के पूर्व भाग में पुनः प्रस्तुत किया गया है, में कहा गया है कि सक्षम अधिकारी किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण होने के बाद गिरफ्तार कर सकता है (उसके कब्जे में सामग्री के आधार पर, लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए) कि कोई भी व्यक्ति अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है और जितनी जल्दी हो सके उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जा सकता है। पंकज बंसल (ऊपर) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसरण में, गिरफ्तारी के उक्त आधार लिखित रूप में दिए जाने हैं और राम किशोर अरोड़ा (ऊपर) के मामले में "जितनी जल्दी हो सके" अभिव्यक्ति का अर्थ "24 घंटे के भीतर" माना गया है। पंकज बंसल (उपरोक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि ई. डी. द्वारा उनसे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में किसी व्यक्ति की विफलता अपने आप में जांच अधिकारी के लिए यह राय देने के लिए पर्याप्त नहीं होगी कि वे धारा 19 के तहत गिरफ्तार किए जाने के लिए उत्तरदायी थे क्योंकि उक्त प्रावधान में विशेष रूप से आवश्यक है कि जांच अधिकारी की राय होनी चाहिए कि यह मानने का कारण है कि संबंधित व्यक्ति अधिनियम के तहत अपराध का दोषी था और 2002 अधिनियम की धारा 50 के तहत जारी समन के जवाब में उक्त व्यक्ति का केवल असहयोग ही उसे प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उसे धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। यह भी कहा गया कि यह प्रवर्तन निदेशालय का काम नहीं है कि वह पूछताछ के लिए बुलाए गए व्यक्ति से अपराध स्वीकार करने की मांग करे क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 20 खंड (3) में दिए गए आत्म-दोषारोपण के खिलाफ उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। यह भी माना गया कि गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकृत अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के आधारों से अवगत कराना आवश्यक था

23 2016 (9) एस. सी. सी. 473 दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

429

अन्य (विकास बहल, जे.)

इसमें अधिकारी के "विश्वास करने के कारण" का आधार है कि वह 2002 के अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी था और इसके बाद ही गिरफ्तार व्यक्ति यह मामला बना सकता है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है। उपर्युक्त निर्णय के पैराग्राफ 27,28,32 और 33 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

“27. इसके अलावा, जब दूसरा ई. सी. आई. आर. 13.06.2023 पर 'प्रारंभिक जांच के बाद' दर्ज किया गया, जैसा कि में कहा गया है। ईडी के जवाबों में, यह स्पष्ट नहीं है कि ईडी के जांच अधिकारी के पास मामले की ठीक से जांच करने का समय कब था ताकि 2002 के अधिनियम के तहत एक अपराध में अपीलार्थियों की संलिप्तता के बारे में स्पष्ट राय बनाई जा सके, जिससे 24 घंटे के भीतर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके। यह 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) के संदर्भ में एक अनिवार्य शर्त है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अधिकारियों को क़ानून के चारों कोनों के भीतर कार्य करना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य में बताया गया है, और एक वैधानिक प्राधिकरण क़ानून में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य है और उसे इसके चारों कोनों के भीतर कार्य करना चाहिए। 28. हम यह भी नोट कर सकते हैं कि ईडी द्वारा उनके सामने रखे गए प्रश्नों का उत्तर देने में अपीलकर्ताओं की विफलता अपने आप में जांच अधिकारी के लिए यह राय देने के लिए पर्याप्त नहीं होगी कि वे धारा 19 के तहत गिरफ्तार किए जाने के लिए उत्तरदायी थे, क्योंकि उस प्रावधान के लिए विशेष रूप से उन्हें यह विश्वास करने का कारण खोजने की आवश्यकता है कि वे 2002 के अधिनियम के तहत एक अपराध के दोषी थे। 2002 के अधिनियम की धारा 50 के तहत जारी समन के जवाब में केवल एक गवाह का असहयोग उसे धारा 19 के तहत गिरफ्तार किए जाने के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उसके जवाबों के अनुसार, ईडी का दावा है कि पंकज बंसल प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने में टालमटोल कर रहे थे। हालांकि यह सामने नहीं लाया गया कि पंकज बंसल के जवाबों को 'टालमटोल' के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया और उस रिकॉर्ड को सत्यापन के लिए हमारे सामने नहीं रखा गया है। किसी भी स्थिति में, ईडी पूछताछ के लिए बुलाए गए व्यक्ति से अपराध स्वीकार करने की उम्मीद करने के लिए तैयार नहीं है और यह दावा करता है कि इस तरह के स्वीकार से कम कुछ भी एक 'टालमटोल जवाब' होगा। संतोष पुत्र द्वारकादास फाफत बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि हिरासत में पूछताछ 'स्वीकारोक्ति' के उद्देश्य से नहीं है क्योंकि आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार 430 है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

आवश्यकता के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उन आधारों से अवगत हो जिनके आधार पर अधिकृत अधिकारी ने उसे धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया और अधिकारी के 'विश्वास करने के कारण' के आधार पर कि वह 2002 के अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है। यह केवल तभी है जब गिरफ्तार व्यक्ति को इन तथ्यों की जानकारी हो कि वह विशेष न्यायालय के समक्ष अभिवचन करने और साबित करने की स्थिति में होगा कि यह मानने के लिए आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है, ताकि जमानत की राहत का लाभ उठाया जा सके। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 22 (1) और 2002 के अधिनियम की धारा 19 द्वारा अनिवार्य गिरफ्तारी के आधारों का संचार इस उच्च उद्देश्य को पूरा करने के लिए है और इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए। 33. हम यह भी नोट कर सकते हैं कि दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ की धारा 19 की भाषा और

431

अन्य (विकास बहल, जे.)

2002 के अधिनियम में यह संदेह से परे रखा गया है कि अधिकृत अधिकारी को यह विश्वास बनाने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा कि गिरफ्तार करने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति 2002 के अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है। धारा 19 (2) अधिकृत अधिकारी से अपेक्षा करती है कि वह धारा 19 (1) में निर्दिष्ट अपने कब्जे में सामग्री के साथ गिरफ्तारी आदेश की एक प्रति सीलबंद लिफाफे में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेजे। हालांकि यह गिरफ्तार व्यक्ति के लिए धारा 19 (2) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेजी गई सभी सामग्री की आपूर्ति करना आवश्यक नहीं है, उसे गिरफ्तारी के आधारों के बारे में 'सूचित' होने का संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है, जो 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए अधिकृत अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से लिखित रूप में दर्ज किए जाते हैं। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को यह सूचित करने का तरीका देश के विभिन्न हिस्सों में ईडी के अधिकृत अधिकारियों के विकल्प पर छोड़ दिया गया है, अर्थात गिरफ्तारी के ऐसे आधारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करना या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसे आधारों को पढ़ने की अनुमति देना या ऐसे व्यक्ति को पढ़कर समझाया जाना चाहिए। ”

(62) पेबाम निंगोल मिकोई देवी (उपरोक्त) मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के प्रावधानों की जांच करते हुए कहा कि भले ही किसी व्यक्ति की नजरबंदी संबंधित प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित हो, फिर भी उक्त व्यक्तिपरक संतुष्टि के समर्थन में, कुछ प्रासंगिक सामग्री का संदर्भ दिया जाना चाहिए। उक्त निर्णय में, राजस्थान राज्य बनाम तालिब खान 24 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया था, जिसमें हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा प्राप्त व्यक्तिपरक संतुष्टि के समर्थन में दस्तावेजों के साथ हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के आधार के बारे में सूचित करने की आवश्यकता थी। यह भी कहा गया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक पोषित अधिकार है और यह इस देश के नागरिकों को संविधान द्वारा गारंटीकृत सबसे मूल्यवान मौलिक अधिकारों में से एक है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 3,16,22,23,24 और 25 नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः -

“3. व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक पोषित अधिकार है, जो सबसे मूल्यवान मौलिक अधिकारों में से एक है।

24 1996 (11) एससीसी 393 432

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

16. उच्च न्यायालय ने इनमें से प्रत्येक का जवाब देते हुए कहा है कि निरोध के आधार पर लगाए गए आरोपों की भौतिक विवरणों में पुष्टि की गई है। इसके अलावा, आरोप अस्पष्ट या अस्पष्ट नहीं थे, और सामग्री हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण के लिए इस व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पहुंचने के लिए पर्याप्त थी कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से काम कर रहा था। उच्च न्यायालय ने यह भी बताया है कि धारा 161 के तहत खुद को दोषी ठहराने वाला बयान एक लोक सेवक द्वारा तैयार किया गया था, और नियमितता का अनुमान है, जिसे अपीलार्थी को गलत और मनगढ़ंत साबित करने के लिए गलत साबित करने का बोझ है, जो इस मामले में नहीं किया गया था। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग में वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक तत्व शामिल हैं, और व्यक्तिपरक तत्वों को यदि वस्तुपरक तत्वों से प्राप्त किया जाता है तो न्यायिक समीक्षा द्वारा व्यक्तिपरक संतुष्टि की पर्याप्तता के आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। XXX XXX XXX 22. इस न्यायालय के कुछ निर्णय यह निर्धारित करने में प्रासंगिक हो सकते हैं कि प्राधिकरण को किस तरह से व्यक्तिपरक संतुष्टि मिलनी चाहिए, विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 (2) पर। एफ. अज़ल घोसी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, इस न्यायालय ने कहा किः (एस. सी. सी. p.505, पैरा 3) "3. यह सच है कि जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि बंदी को इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि वह दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत का संघ था।

433

अन्य (विकास बहल, जे.)

इस बात से संतुष्ट कि उन्हें सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से कार्य करने से रोकना आवश्यक था, लेकिन उस संतुष्टि के समर्थन में किसी भी सामग्री का कोई संदर्भ नहीं है। हम जानते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट की संतुष्टि व्यक्तिपरक प्रकृति की होती है, लेकिन व्यक्तिपरक संतुष्टि भी कुछ प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होनी चाहिए। हम यहाँ उस सामग्री की पर्याप्तता के बारे में नहीं बल्कि किसी भी प्रासंगिक सामग्री के अस्तित्व के बारे में चिंतित हैं। ”

(जोर दिया गया) 24। पंजाब राज्य बनाम सुखपाल सिंह के मामले में, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः (एस. सी. सी. पी. 43, पैरा 9) "9. ......आपूर्ति किए गए आधार इस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण के रूप में काम करते हैं कि क्या निरोध के आधार और निरोध आदेश के बीच एक सांठगांठ उचित रूप से मौजूद है या क्या कुछ दुर्बलताएं पैदा हुई थीं।

(जोर दिया गया)

434

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

25. राजस्थान राज्य बनाम तालिब खान के मामले में, इस न्यायालय ने कहा किः (एससीसी p.398 पैरा 8) "8. ......हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिपरक संतुष्टि के समर्थन में दस्तावेजों के साथ हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के आधारों का संचार करना सामग्री और अनिवार्य है।

(जोर दिया गया) "

(63) वर्तमान मामले में यह पक्षकारों का स्वीकृत मामला है कि दोनों याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी के आधार पर पुनः प्रस्तुत की गई 8 प्राथमिकियों में आज तक दोनों याचिकाकर्ता आरोपी नहीं हैं। यह पक्षकारों का स्वीकृत मामला है कि धारा 50 के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है जो सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति को बुलाने और आवश्यकतानुसार दस्तावेज पेश करने का अधिकार देता है। ऊपर की गई चर्चा से यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता उस परिसर में थे जहां 04.01.2024 से 08.01.2024 तक तलाशी ली जा रही थी। दोनों याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी के आधारों के अवलोकन से पता चलता है कि हालांकि सक्षम अधिकारी द्वारा यह कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने प्रश्नों से बचकर और भ्रामक उत्तर देकर असहयोग का रवैया अपनाया है, लेकिन इसके बारे में कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं दिया गया है। उक्त पहलू पर सामान्य टिप्पणियां की गई हैं। दिलबाग सिंह के मामले में दायर किए गए अतिरिक्त जवाब का अनुच्छेद ई [(3) (ए) से (3) (डी)] फैसले के पहले भाग में पुनः प्रस्तुत किया गया है और उसी के अवलोकन से पता चलता है कि अनुच्छेद 3 (ए) में यह कहा गया था कि दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच की आवश्यकता थी और यह आगे कहा गया था कि तलाशी अभियान 3 तक जारी रहा थाः 20 08.01.2024 पर पीएम और दोनों याचिकाकर्ताओं को तलाशी के समापन से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि याचिकाकर्ता दिलबाग सिंह को 12 बजे गिरफ्तार किया गया थाः 15 पीएम और कुलविंदर सिंह को 02 बजे गिरफ्तार किया गया थाः 15 08.01.2024 पर पीएम। महत्वपूर्ण रूप से खंड (डी) में यह कहा गया था कि यह 10.01.2024 पर है कि जब्त की गई सभी सामग्री की प्रारंभिक जांच की गई थी। उक्त अतिरिक्त उत्तर दिनांक 29.01.2024 दाखिल करके, प्रत्यर्थी सं। 2 धारा 19 (2) के अनुपालन में देरी की व्याख्या करने के लिए घटनाओं का क्रम दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन उक्त पैराग्राफ के करीब से अवलोकन से पता चलेगा कि यदि दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच 10.01.2024 पर की गई थी, 08.01.2024 के बाद जब याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, तो गिरफ्तारी अधिकारी के सवाल ने लिखित रूप में विश्वास करने का कारण बनाया कि याचिकाकर्ता 2002 के अधिनियम के तहत अपने कब्जे में सामग्री के आधार पर अपराध के दोषी थे, दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

435

अन्य (विकास बहल, जे.)

बहुत संदिग्ध हो जाता है। इसके अलावा, घटनाओं के क्रम में कोई संदर्भ नहीं दिया गया है कि 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत आवश्यक विश्वास करने के कारणों को लिखित रूप में कब घटाया गया था। (64) यह ध्यान रखना और भी प्रासंगिक होगा कि दिलबाग सिंह के मामले में और साथ ही कुलविंदर सिंह के मामले में दिनांकित रिमांड आवेदन का अवलोकन भी इस तथ्य को दूर से दर्ज नहीं करता है कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी ने अपने विश्वास के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया था। दिलबाग सिंह के मामले में रिमांड के लिए आवेदन के पैराग्राफ 18 में यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता "की गई जांच के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए प्रथम दृष्टया दोषी था" और उक्त आवेदन में इस तथ्य की कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के पास लिखित रूप में विश्वास करने का कारण था कि याचिकाकर्ता दिलबाग सिंह अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी था और इस प्रकार, गिरफ्तारी के आधार पर किए गए बयानों को उनके अंकित मूल्य पर लिए जाने पर भी, धारा 19 (1) के तहत अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है। दिलबाग सिंह के मामले में दायर रिमांड आवेदन के पैराग्राफ 15,16 और 18 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

XXX XXX XXX 18. कि, इस निदेशालय को आरोपी दिलबाग सिंह से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है ताकि अपराध की आगे की आय का पता लगाया जा सके और कुछ 436 लोगों से पूछताछ की जा सके।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

धन-शोधन के अपराध के लिए दोषी, की गई जाँच और अब तक एकत्र किए गए साक्ष्यों के साथ-साथ इस निदेशालय के कब्जे में सामग्री के आधार पर। ”

(65) इसी तरह के प्रभाव के लिए कुलविंदर सिंह के मामले में दिनांक 1 के रिमांड के लिए आवेदन में किए गए कथन और उक्त आवेदन के पैराग्राफ 14 में यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता कुलविंदर सिंह को की गई जांच के आधार पर धन शोधन के अपराध के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया था। इसके अलावा, यह प्रतिवादी नं. 2 याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करने के बाद भी खोज जारी थी और इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करने से पहले धारा 19 (1) के तहत सामग्री को आत्मसात करने और विश्वास करने के कारणों के निर्माण का सवाल अत्यधिक संदिग्ध हो जाता है। दिलबाग सिंह के मामले में दायर किए गए दिनांक 1 के जवाब के पैराग्राफ 39 के आगे के अवलोकन से पता चलता है कि यह पाया गया था कि गिरफ्तारी यह मानने के कारण की गई थी कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धन शोधन का प्रथम दृष्टया अपराध किया गया है। पैराग्राफ 39 के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

कि धन शोधन के अपराध का "प्रथम दृष्टया" मामला याचिकाकर्ता व्यक्ति के खिलाफ बनाया जाता है। ”

(66) समान प्रभाव के लिए उक्त उत्तर के पैराग्राफ 29 में किया गया कथन है जो निर्णय के पहले भाग में पहले ही पुनः प्रस्तुत किया जा चुका है। इस प्रकार, प्रत्यर्थी के रुख के अनुसार भी नहीं। 2, गिरफ्तारी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला खोजने के बाद की गई थी और उनके पास मौजूद सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण नहीं था कि याचिकाकर्ता अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के दोषी थे। गिरफ्तारी के आधार पर, एक ओम गुरु इकाई को संदर्भित किया गया है जिसके बारे में याचिकाकर्ताओं को न तो मालिक कहा गया है और न ही उनके कब्जे में बताया गया है। एनजीटी द्वारा पारित आदेशों का और संदर्भ दिया गया है और 'आईडी1' दिनांकित आदेश को दिलबाग सिंह के मामले में दायर 'आईडी2' दिनांकित अतिरिक्त जवाब के साथ अनुलग्नक आर-4 के रूप में संलग्न किया गया है और उसी के अवलोकन से पता चलता है कि मेसर्स डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें याचिकाकर्ता दिलबाग सिंह को एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कहा गया है, के पास खनन पट्टा था, जबकि गिरफ्तारी के आधार पर इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि उक्त कंपनी के पास खनन पट्टा था और उसी में, यह 'दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू' है। v. भारत संघ और

437

अन्य (विकास बहल, जे.)

अतिरिक्त मुद्दे (67) 2002 के अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि उक्त प्रावधान की उप-धारा (1) के तहत गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को उक्त गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर विशेष न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, जो क्षेत्राधिकार रखने वाला मामला हो। याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों की ओर से उठाई गई दलीलों के आधार पर, दो पहलू हैं जिन पर इस न्यायालय को विचार करने के लिए कहा गया था। पहला पहलू विशेष न्यायालय द्वारा 2002 के अधिनियम की धारा 19 (3) सहित धारा 19 में निहित शर्तों के अनुपालन के संबंध में खुद को संतुष्ट करने के संबंध में रिमांड के आदेश पारित करते समय दिमाग का गैर-आवेदन था। उक्त पहलू पर आधार संख्या 1 के तहत विस्तार से चर्चा की गई है और याचिकाकर्ताओं के पक्ष में रखा गया है। दूसरा पहलू यह है कि क्या आई. डी. 1 से पहले जब याचिकाकर्ताओं को गुरुग्राम में विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था, तो गुरुग्राम अदालत के अधिकार क्षेत्र में कुछ वसूली/कार्रवाई का कारण था ताकि 2002 के अधिनियम की धारा 19 (3) के अनुपालन को पूरा किया जा सके। हालाँकि 09.01.2024 पर दायर रिमांड के लिए आवेदन में ऐसी कोई वसूली का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू के मामले में प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से दायर किए गए दिनांक 29.01.2024 के अतिरिक्त जवाब में यह कहा गया है कि रु। रमन ओझा नामक व्यक्ति के आवास से 7.5 लाख रुपये जब्त किए गए थे, जिसे दिल्ली रॉयल्टी कंपनी में 50 प्रतिशत भागीदार कहा जाता है, जो एक साझेदारी फर्म थी और इस प्रकार, गुरुग्राम की उक्त अदालत के पास रिमांड का आदेश पारित करने के समय अधिकार क्षेत्र था। इस संबंध में, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील द्वारा दिनांकित 05.01.2024 (अनुलग्नक R-2) पंचनामे का संदर्भ दिया गया है। उक्त 438 का अवलोकन

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(68) गुरुग्राम की अदालत के पास अंततः मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा या नहीं, इस पहलू पर दोनों पक्षों की ओर से कई तर्क दिए गए हैं। राणा अयूब के मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के प्रश्न के लिए उस स्थान के तथ्य के प्रश्न की जांच की आवश्यकता है जहां अपराध की कथित आय को छुपाया गया था, रखा गया था, अर्जित किया गया था या उपयोग किया गया था और यह उस साक्ष्य पर निर्भर करेगा जो निचली अदालत के समक्ष सामने आता है। इस प्रकार, उक्त प्रश्न का अंतिम निर्णय वर्तमान याचिकाओं में नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब दोनों पक्षों द्वारा गंभीर तथ्यात्मक विवाद उठाए गए हैं। इसके अलावा, वर्तमान मामले में, प्रतिवादियों द्वारा शिकायत दायर की जानी बाकी है और यह केवल उस स्तर पर है जब पूरी सामग्री पर विचार करने के बाद उक्त मुद्दे पर अंततः विचार किया जा सकता है। हालाँकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, उपरोक्त टिप्पणियां किसी भी तरह से उन निष्कर्षों को दूर नहीं करेंगी जो वर्तमान आदेश के पूर्व भाग में आधार संख्या 1 के तहत दर्ज किए गए हैं, क्योंकि उक्त आधार पर विचार के लिए मुद्दा विशेष न्यायालय द्वारा 2002 अधिनियम की धारा 19 (3) सहित धारा 19 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में दिमाग का आवेदन था, जिस तारीख को याचिकाकर्ताओं को रिमांड पर लिया गया था और ईडी को उनकी हिरासत दी गई थी। (69) इस स्तर पर, दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ के संबंध में प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उठाई गई आपत्ति से निपटना प्रासंगिक होगा और

439

अन्य (विकास बहल, जे.)

याचिकाकर्ता दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू द्वारा दोनों याचिकाकर्ताओं की ईडी हिरासत को प्रतिवादी संख्या 2 तक बढ़ाने के दूसरे आदेश को विशिष्ट गैर-चुनौती। इस संबंध में, यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि सी. आर. एम.-एम.-2191-2024 वाली पहली याचिका जिसका शीर्षक दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू था, का मसौदा आई. डी. 2 पर तैयार किया गया था और उक्त मामला आई. डी. 1 पर इस अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए आया था। आई. डी. 1 पर, इस न्यायालय ने रजिस्ट्री को यह स्पष्ट करने का निर्देश देते हुए एक विस्तृत आदेश पारित किया था कि क्या वर्तमान मामले की सुनवाई इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा की जानी है या एकल पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना है। उक्त आदेश का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

इस प्रकार रजिस्ट्री को निम्नलिखित को स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया हैः - 1) क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर किए गए और माननीय खंड पीठ द्वारा विचार किए गए उपरोक्त मामलों को देखते हुए, वर्तमान याचिका को माननीय खंड पीठ या एकल पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना है? 2) क्या मामले को एकल पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना है, तो क्या इसे धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत सभी मामलों की सुनवाई करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना है या इस न्यायालय के समक्ष, जिसे मौजूदा/पूर्व सांसद/विधायक द्वारा या उनके खिलाफ सभी आपराधिक मामलों (एस. बी.) से निपटने के लिए रोस्टर सौंपा गया है?

18.01.2024 पर स्थगित किया गया। उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध होने के बाद

उपरोक्त पहलुओं पर विचार करना।

(विकास बहल)

जज "

15.01.2024

(70) इसके बाद रजिस्ट्री ने माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से आदेश प्राप्त करने के बाद इस न्यायालय के समक्ष मामला रखा था।

यह 440

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(71) उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि पहली याचिका दायर की गई थी और इस अदालत द्वारा 16.01.2023 से पहले ली गई थी और इस प्रकार, याचिकाकर्ता दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू उक्त याचिका में उक्त आदेश को चुनौती नहीं दे सके। प्रार्थना खंड में, गिरफ्तारी आदेश, गिरफ्तारी ज्ञापन, रिमांड आदेश दिनांक 09.01.2024 को विशिष्ट चुनौती देने के अलावा, एक और अनुरोध किया गया था कि यह न्यायालय कोई अन्य आदेश या निर्देश पारित कर सकता है जिसे वह वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे। यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि 16.01.2024 दिनांकित आदेश को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपने दिनांकित 22.01.2024 (अनुलग्नक R-8) के जवाब में रिकॉर्ड पर रखा गया है और याचिकाकर्ता कुलविंदर सिंह द्वारा दायर दूसरी याचिका यानी CRM-M-3385-2024 में, जो इस अदालत के समक्ष पहली बार 23.01.2024 पर सुनवाई के लिए आई थी, जिस तारीख को प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया था और मामले को CRM-M-2191-2024 के साथ सुनवाई का आदेश दिया गया था, दिनांकित 16.01.2024 के आदेश को विशेष रूप से चुनौती दी गई है। दिनांकित 16.01.2024 आदेश दोनों याचिकाकर्ताओं के रिमांड की अवधि बढ़ाने वाले दोनों याचिकाकर्ताओं के मामले में पारित एक सामान्य आदेश है। उक्त आदेशों को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिए गए हैं और दोनों आदेशों का बचाव करने में प्रतिवादियों द्वारा भी और उक्त तर्कों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने माना है कि दोनों आदेश उन कारणों से अलग किए जाने के योग्य हैं जो ऊपर दिए गए हैं। (72) देविंदर पाल सिंह मामले (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यह कानून का एक तय प्रस्ताव है कि यदि प्रारंभिक कार्रवाई/आदेश अवैध पाया जाता है, तो बाद की सभी और परिणामी कार्यवाहियां अपने आप गिर जाएंगी और उक्त सिद्धांत न्यायिक, अर्ध न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाहियों पर समान रूप से लागू होता है और विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद, यह आगे कहा गया कि एक बार प्रारंभिक चरण में कोई आदेश कानून में खराब हो जाता है, तो उसके परिणामस्वरूप आगे की सभी कार्यवाहियां गैर-कानूनी होंगी और उन्हें अनिवार्य रूप से अलग करना होगा और कानून के उक्त प्रस्ताव के आधार पर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि उक्त मामले में विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है, इसलिए उसी के परिणामस्वरूप, बाद की कार्यवाही, आदेश, एफ. आई. आर., जांच स्वचालित रूप से दूषित हो जाएगी और इसे रद्द कर दिया जाएगा। उक्त निर्णय के अनुच्छेद No.107 से 111 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

“XXX XXX XXX दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और

441

अन्य (विकास बहल, जे.)

XXX XXX XXX 116. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील सफल होती हैं और तदनुसार अनुमति दी जाती है। इसमें चुनौती दिए गए विवादित आदेशों को अमान्य घोषित कर दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप, सी. बी. आई. द्वारा दर्ज की गई एफ़. आई. आर. को भी रद्द कर दिया गया है। ”

(73) इसी तरह के प्रभाव के लिए रितेश तिवारी और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 25 शीर्षक वाले मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून है। उक्त निर्णय के अनुच्छेद No.32 से 35 तक हैं - 25 2010 (10) एससीसी 677 442

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

निम्नानुसारः - “32. यह तय कानूनी प्रस्ताव है कि यदि कोई आदेश अपनी शुरुआत में खराब है, तो वह बाद के चरण में पवित्र नहीं होता है। बाद की कार्रवाई/विकास किसी ऐसी कार्रवाई को मान्य नहीं कर सकता है जो अपनी शुरुआत में वैध नहीं थी, क्योंकि अवैधता आदेश की जड़ पर हमला करती है। इस तरह के आदेश को मान्य करना किसी भी प्राधिकरण की क्षमता से परे होगा। यह विडंबना होगी कि किसी व्यक्ति को उस कानून पर भरोसा करने की अनुमति दी जाए, जिसका उल्लंघन करते हुए उसने लाभ प्राप्त किए हैं।

34. मंगल प्रसाद तमोली बनाम नरवेश्वर मिश्रा के मामले में इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि प्रारंभिक चरण में कोई आदेश कानूनी रूप से गलत है, तो उसके परिणामस्वरूप आगे की सभी कार्यवाहियां गैर-कानूनी होंगी और उन्हें अनिवार्य रूप से अलग कर दिया जाना चाहिए। 35. तत्काल मामले में, जैसा कि हमने देखा है कि मयूर सहकारी आवास समिति के पक्ष में दिनांकित कथित बिक्री विलेख लेनदेन से बचा हुआ है, उसके बाद के सभी लेनदेन को केवल नजरअंदाज किया जाना चाहिए। ”

निष्कर्ष/विश्वास (76) उपरोक्त चर्चा के अनुसार, दोनों याचिकाओं को अनुमति दी जानी चाहिए और विवादित आदेश निम्नलिखित आधारों पर अलग किए जाने चाहिएः -

“क) दिमाग का उपयोग न करना और दिलबाग सिंह @दिलबाग संधू बनाम भारत संघ की रिकॉर्डिंग न करना और

443

अन्य (विकास बहल, जे.)

ग) 2002 अधिनियम की धारा 19 (2) के प्रावधानों का उल्लंघन। घ) 2002 के अधिनियम की धारा 19 (1) का गैर-अनुपालन।

(79) उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए सभी लंबित विविध आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा। रिपोर्टर-डॉ. पायल मेहता